is still the only medium for being educated, entertained and informed.

The External Services Division (ESD) is one of the very important and sensitive Services of AIR. This Service acts as a bridge between India sad the world. The ESD has adopted sixteen foreign and eight Indian languages for airing different news, cultural and sports-based programmes for the overseas listeners. This Division caters *io* the Indians settled abroad. The primary object of ESD is to project the image of a modern, progressive India with its commitment to the principles of democracy and international peace and harmony. It also edeavours to counter the faise and baseless propaganda of its enemies.

Madam, during the fast few years a large number of people from Orissa have gone to different foreign countries for jobs. Most of them are at present working in various coun tries of the Gulf. There is no means of entertainment as well as informa tion in their own language about the development of India. new These workers hardly know English or any other foreign langu-ae. The newspapers in their mother tongue cannot reach them. Therefore, they are totally isolated and ignorant of the happenings in India. Keeping in view the problem of the ever.increasing number of Oriya people abroad, I would revest the hon-Minister ttt' Information and Broadcasting to instruct the A fR to include Oriva language in the ESD and air programmes for the benefit cf the overseas Oriyans. Thank you.

The Criminal: Law (AmendraentQ Bill, 1995—Contd.

ची सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाष्यक्ष महोदय , यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है ग्रीर में प्रापका ध्यान आकषित कराना चाहता हू सत्ता पक्ष की जो कुर्सियां हैं उनकी धोर मैडभ, इनके 94 सदस्य हैं और लगता यह है कि इनके सदस्यों को दिलचस्पी नहीं है इस विधेयक को पास करने में क्योंकि 94 सदस्यों में से केवल 3 ही सदस्य उपस्थित हैं, अगर 2 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए । ... (ब्यवधान) में केवल आपका ध्यान आकषित कर रहा हूं। ... (ब्यवधान) ...

भी संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): मालवीय जी, कुर्सी जाने वाली है इनकी ...(व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मालवीय जी, श्राप श्रपनी बात जारी रखें। श्रापका समय कम है, केवल चार मिनट का समय है। श्राप श्रपनी बात कहें।

श्री सस्य प्रकाश मालवीय: जी, मैडम, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं इनकी दिलचस्पी नहीं है और अगर यह विपक्ष के लोग भी वाहर चले जाएं तो कोरम के अभाव में सदन स्थिगित किया जा सकता है।

मैडम, यह जो दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 है, यह केवल इसलिए लाया गया है ताकि आतंकवादी और विध्वंसकारी कियाकलापों के निवारण के लिए उनसे निपटने के लिए तथा दण्ड विधि को अनुपूरित करने के लिए विशेष उपबंध हो सके । यह जो ग्रातंकवादी विध्वंसकारी गतिविधियां हैं यह राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इससे राष्ट्र टूट भी सकता है और शब्द की जो सर्विभौमिकत है उसके लिए भी इससे खतरा है। लेकिन जो राज्य का ग्रातंकवाद है, वह व्यक्ति, नागरिकों या जो नागरिकों का समूह है, उससे श्रधिक खतरनाक होता है । वर्तमान दंडं विधि संशोधन विधेयक जो है, यह केवल कुछ संशोधनों के साथ जो पुराना "टाडा है, वही है ग्रीर एक मामले है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। "टाडा" जो या, जिसे सम् 1985 में पारित किया या

संसद ने, उसकी कम से कम प्रति दो वर्ष में संउद के सामने लाकर के संसद की धनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन जो वर्तमान संशोधन विवेंयक है इसमें श्रनुमति की भी भावश्वकता नहीं है और जो हमारे कानन की किताब है, उनमें एक स्थाई विधेयक लाने का प्रयास सरकार कर रही है ज़ौर यष्ठ अनावश्यक है । इसका दुरुपयोग होगा, इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । हमारे देश में "मीसा" का दुरुपयोग हुन्ना, "एन०एस०ए०" का दुरुप-योग हुआ और आज भी दुरुपयोग हो रहा है । यह मंत्रालय ने, उनका जो बैक प्राउंड नोट था, उतमें उन्होंने स्वयं माना है कि "टाडा" का भारी दुरुपयोग हुग्रा भीर विशेषकर के जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में और *महाराष्ट्र* में, वहां भी इसका दुरुपयोग हुमा । गृह मंत्री जी स्वयं महाराष्ट्र से ग्राते हैं, लेकिन गृह मंत्री होते हुए भी महाराष्ट्र में इस कानून के दुरुपयोग को वह रोक नहीं सके घौर ग्रपने बैक प्राउंड नोट में भी उन्होंने माना कि ---

tt was an unjustified misuse of the Act.

भव जो , वर्तमान विधेयक लाया गया है इसके भी दुरुपयोग की आशंका है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता । वर्तमान में बहुत से कानून हैं, जिनकी <del>घर्चा स्टेंडिंग कमे</del>टी की रिपोर्ट में की गई है। हमारे देश में ऋाज भी "मीसा" या "नेशनल सिक्पुरिटी एक्ट" है, "माई०पी० सी." है, "सी ब्यार ब्यो ब्सी ब" है, "ग्राम्स एकट" है या जितने भी कानून हैं, इनके ग्रंतर्गत हम ग्रपराक्षों को रोक सकते हैं धीर यदि कोई ग्रपराध करे, उन ग्रपरा-धियों को हम ग्रदालत के द्वारा संजा दिलवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में इस नए कानून की कोई धावश्यकता नहीं है और इस देश में **जो** बहुले से कानून हैं, वे बहुत ही व्यापक है, उन कानुनों के जरिए हम लोगों को संबा दिलवा सकते हैं।

यह कानून कुछ मामलों में बहुत ही चित्रव है क्योंकि कैसे वैंवे शुरू में कहा

कि "टाइा" एक ग्रस्याई कानून था, यह एक स्थाई कानून है। दुरुपयोग का जहां तक सवाल है, यहां पर सी०पी०म्राई० के मैम्बर मौजूद हैं, आपने भी पढ़ा होगा समाचार पत्नों में, एक सत्य घटना घटी पश्चिमी बंगाल में। पंजाब के कुछ नागरिक पश्चिमी बंगाल में गए थे, जहां पर कि सी०पी०ग्राई० (एम) की सरकार है वहां पर पंजाब की पुलिस को ले जाकर के वहां चार-पांच लोगों की हत्या की गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सप्रीम कोर्ट में पहले तो वहां के होम संकेटरी या डिप्टी होम सैकेटरी ने इस बात से इंकार किया लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी भवमानना का नोटिस जारी करना पड़ा भीर वह मामला आज पंजाब के पुलिस मधिकारियों के खिलाफ चल रहा है ग्रदालत में भीर सी० पी०ग्राई० (एम) की सरकार ने स्वयं भी इसका विरोध किया। तो इस देश की पुलिस कितनी निरंकश हो सकती हैं, इसकी कल्पना के बारे में मैं ग्रापसे क्या कहं मैं समझता हूं कि ग्राप स्वयं भुक्तभोगी होंगी।

दो-तीन इसमें जो प्रावधान हैं, उनका मैं विशेष रूप से विरोध करता हूं। एक तो इसमें सी०भार०पी०सी० की धारा 167 में परिवर्तन हो रहा है, जो रिमांड का प्रायधान है, उन रिमांड के प्रावधान में ब्राप वृद्धि करना चाहते हैं । मेरा. निवेदन यह है कि जो सी०मार०पी०सी० है, उस सीब्घारव्यीव्सीव के अंतर्गत रिमांड का प्रावधान है---15 दिन हो, 30 दिन हो, 60 दिन हो, तो उसके समय को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सी०ग्रार०पी०सी० के ग्रंतर्गत है कि जिसको आप पकड़ें, उतके रिमांड की अनुमति ग्राप मजिस्ट्रेट से ले. सकते हैं । ...(समय को घंटी)...इसलिए उस रिमांड के प्रावधान का मैं विरोध करता हूं।

दूसरे इसमें जो प्रानर्टी सीज की जाएगी, जिसके खिलाफ रपट दर्ज हो गई, तो उसकी प्रापर्टी सीज होगी । वह प्रापर्टी सब इंस्पेक्टर भाफ पुलिस या डिप्टी एस॰पी॰ सुपरिटेंबेंट घाफ पुलिस के बादेश मे सीज करेंगें। मेरा इसमें सुझाव यह है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए और वह अधिकार पुलिस को नहीं देश चहिए। स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था अप कर रहे हैं और इस बारे में स्पेशल कोर्ट को ही पावर अपको देनी चाहिए।

इसमें एक और विरोधाभास है। वे यह कहते हैं कि जो ग्रधिकारी इसका दुरुपयोग करेंगे, उनके खिलाफ इसमें मुकदमा भी चलाया जा सकता है ग्रीर इसके लिए ग्रंत में प्रावधान है, क्लाज 24 में, कि:—

"Protection of action taken in good faith and punishment for ocr-ruptly pr maliciously proceeding against any person under this Act."

धारा 1 और धारा 2 है, उसके मैं विक्तार में नहीं जाना चाहता हूं, समय की कमी की वजह से, लेकिन मैं इस और ध्यान जरूर ग्राइन्ट करना चाहता हूं कि सी॰ आर॰ प्रीवजन है 197 में कि इसमें ऐंसे सरकारी अधिकारी, चाहे पुलिस अधिकारी हों था पिन्तक सर्वेट्स हों ... (व्यवधान)...।

उपसभाध्यक (श्रीमती जनता सिन्हा) : श्रापका समय समाप्त हो मया है, कृषया समाप्त करें।

श्री सत्त्व प्रकाश मालवीय : बस, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । क्योंकि समय जितना बज़ा है उतना समय तो बढ़ेगा न ?

स्पसनाध्यक्ष (श्रीमती समला किन्हा) : श्रापका चार मिनट का समय था, श्रापने से लिया ।

श्री स्त्य प्रचाश मासवीय: पहले इसका समय था तीन घंटा, जिसके अनुसार चार मिनट था। अब इसका समय छ: घंटा हो गया है तो छ: घंटे में तो आठ मिनट मिलेगा ही। मैं तो हो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

जपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : एक मिनट में समाचा करें।

श्री सस्य प्रकार अस्पतीयः में यह निवेदन कर रहा था कि जो पब्लिक सबैट-सरकारी अधिकारी हैं, उनके मुकदमा चलाने की सरकार से संक्शन लेनी पड़ती है। सैनशन-197 प्रपनी जगह **भ्रा**ज भी एगजिस्ट करता है। इसमें विरोधाभाष है ग्रीर उसका कोई भी लाभ **ग्राम ज**नता को नहीं हो सका। ग्रंत में मैं अपनी बात कहकर के समाप्त करूंगा। यह जा स्टेंडिंग कमेटी की रिपार्ट है, उसकी कम से कम परंश्यएशन वैल्यु तो है ही। हमारे रूल्स में दिया गया है कि स्टेंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी परश्युए-शन वैस्यू है। स्टैंडिंग कंमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही हैं सिवाय एक बात को छोड़ कर के सब इस बिज के जिलाफ हैं। श्राप उसको देख लीजिएगा, मैं उनका उद्धरण नहीं करना चाहता। लेकिन पूरो चर्चा करने के बाद उन्होंने ओ रिपोर्ट दी है, केवल एक बात को छोड़ करके, अपनी रिपोर्ट के साहवें पृष्ठ में जितनी भी बातें कही हैं, इ.। बिल के खिलाफ कहा है। इसलिए कम से कम स्टेंडिंग कमेटी की जो परस्यएशन वैल्य है, उसको तो इस सरकार को स्वीकार करना चाहिए। एक ऐमरजेंसी पाँचमें बिल था-1919 क जिसके बारे में रालेट कमेटी बना थी। वह भी केवल तीन साल के लिए था। बड़ेबड़े राष्ट्र भक्त थे, नेता थे, देशभक्त स्रोगों ने उसका विरोध किया ग्रौर रोलेट कमेटी बैठी और उतके बाद ही वह भी तीत साले के जिए या जिसका नाम था → एयरजेंसी पाँवर्स बिल। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं। इसके बाद भी म्रातंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, दुरूपयोग होगा। जो निर्दोष लोग हैं व**ह** मारे जायेंगे, निर्दोष लोग झुठे मुकदमें में फंसाए जाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापिस लें।

#### SHRI M. A. BABY (Kerala):

Madiam, we are discussing a very important legislation. Shri Satya Prakash Malaviya has also referred to it. The importance attached by the Trea. sury benches to this piece of legislation is reflective of how they axe

dealing with the problems of this country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA); Mr. Malaviya has already raised this matter.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Madam, we will be hauled up. They will not be hauled up.

SHRIM. A. BABY; The Press Gallery outnumbers the Members of the Treasury benches. There is no Par. liamentary Affairs Minister present here. This is a very sad state of affairs. The country is watching us.

उपलबाध्यक्ष (श्रीवतीक्षमता जिन्हा) : ईश दत यादव जी, ग्रापके पास चार मिनट का समय है।

श्री इतहत बाह्यः (उत्तर प्रदेश) : मैडम, हमारी पार्टी की संख्या उत्ती है जितनी मालबीय जी की है। इतिष् इस भिनट हमारा भी है जब दस मिनट इनका हुआ है।

उरात्माभ्ध्यक्ष (श्रीमतीकवता पिन्हा) । श्रापका चार मिनट का समय है, वह श्रापकी बदा दिया।

श्री ईतरात यास्यः मैंडम, दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1995 का मैं विरोध करते के लिए खड़ा हुमा हूं। विरोध इस-लिए कर रहा हूं कि इसके पहने भी जो टाडा कातून था और जान्या का मून बनाने जा रहे हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ज्यों-ज्यों दश की मर्ज बढ़ता ही गरा। टाडा जा कातून 23 मई, 85 में लागू किया यथा था प्रीर प्राज उर कानून को वर्षाठ है और प्रांतिम विदाई भी है। के किन उतका कोई हम नहीं निकता है।

श्री संस्थातकात्र मालक्षेयः ग्राज उसका निधन भी हुमा है।

श्रो ईशदस यादवः इसका कोई समाधान नहीं निकजा है। माननोत्र संतद सदस्यों ने,सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने,मानव अधिकार आयोग ने, घल्पसंख्यक आयोग ने ऋषेट देश के तदाम लोगों∶ने इसका विरोध किया। इत कानून का इस आधार पर विरोध किया कि इसे का एन का सदुप-योग नहीं हो रहा है और इस्से जो काम होते को था वह नहीं हैं, रहा है, बल्कि दुरुखोन हो रहा है और विनेषकर के इस कातून का दुरूपयोग राजनीतिक दृष्टि से ग्रौर ग्रकलिश्त के लोगों के खिनाफ किया जा रहा है। मानतीय गृह मंत्री चव्हाण साहा ने स्वीकार किया है कि इस कानून का दुरूपयोग हुआ। मैंडम् मैं नहीं समझता कि श्रद्ध इस नएकानून के बन जाने से कोई लाभ होने वाला है। मैडम, जो विधेयक है बढ़ तो पूराने कानुन की बिल्कूल नकत है । इतमें पुराने कानून के मुताबिक<sup>े</sup>सा**धारण** सा संसोधन किया गया है। इसमें कह दिया गया है-जैसे कंफोशन का प्रोविजन या कि पुलिस ग्राफिसर के सामने जो कंफे-शन होता था वह मान्य हो जाता था, साक्ष्य में मान लिया जाता था। अब नए कानून में बहुते हैं कि पुलिस आफिसर के सामने अगर कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद है तो वह कंफेशन मान लिया जाएगा। पहले सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट में ऋपील के लिए जाना था, अब कह दिया कि हाई कोटे में भी जासकते हैं। इनवेस्टिगेशन डी० एस० पी० स्तर तक का आदमी करेगा. इससे नीवे स्तर का आदमी नहीं करेगा। मैडम, मैं नहीं समगता कि ये जो साधारण से संबोधन किए जा रहे हैं प्राने कान्त में, इससे कोई लाभ होने वाला है। यह तो सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्मा है और श्री मालवीय जी सही कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि इस देश के अंदर बहुत से कानून बने हुए हैं जिनमें सख्त से रख्त व्यवस्था है और प्रगट सरकार और सकार की ऐजेंसी जिन लोगों को इस कानून को कार्यान्त्रित करना है, ग्रगर इसका कड़ाई से पालन करेतो अपराध रूक सकते हैं।

मैडम, देश के श्रंदर उप्रवाद बढ़ रहा है यह निश्चित रूप से चिता का विश्वय है, गंभीर विषय है और देश के श्रंदर यह भयकर समस्या खड़ी है। उप्रवाद का मुकाबना होना चाहिए, उप्रवाद स्थाध

होना चक्रहिए और देश के संदर भाई वारे की स्थिति पैदा होती चाहिए । इतका निदान होपा चाहिए, इपका कारण बुदना वाहिए सरकार को कि इ.के पीडे क्या कारण हैं। इसके पीठे प्राधिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो कते हैं, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं प्रौर जनता की अगर कोई जावज मांग है, किसी की सही सों। है प्रौर परकार जान बुझ कर उत्तरी इंकार करती है तो बह भी कारण हो सकता है। इन सब काएगों का पता लगाना चाहिए कि देशके अंद (उप्रवाद बढ़ क्यों रहा है और इस उपनार को समाप्त करने के लिए सरकार के पास तर्क क्या हो सकता है । भेवल बुलेट की नोक से या गोलियां चलां कर या लोगे को जेल में डाल कफो ने हुनाह लोगों, को उधवाद को समाप्त नहीं किया जासकताः सर-कार ने, मैं समझता हं कि इस पर कड़ी भी गंभीरता से विवार नहीं किया और सर-कार के सामने तो अनेनों समस्थार हैं। कभी अल्पमत की सरकार हो जाता है, बहुमत हो गया तो अब असली क ग्रेस और नकेली कांग्रे। की लडाई शरू हो गई। इनके सामने उप्रशाद की समस्या की हल करने के लिए और देश की समस्याध्यें को हल करने के लिए कोई समय नहीं है। इसलिए में धन्रोध कर रहा या धापके माध्यम से कि सरकार को इस पर गंशोरता से विवार करता चाहिए कि उसकार बढ़ कैसे रहा है, पैदा कैसे हो रहा है, पनप कैसे रहा है और इस उप्रवाद को समान्त करने के लिए तरीका क्या होगा। छानून भापके पास है, इन कानुनों का आप कड़ोई से पालन करें श्रीर यह जो जिल आया गया है, यह मुझे बड़ा हास्यस्पद लग रहा है। भव इस देश में दो कानून चलेंगे आज बारह बजे तक जिन्हों गिरफ्तार कर लिया जाएगा टाडा कातून के ग्रंतगेत, उनके लिए भ्रजा मुकरमा चलेगा, उनके लिए म्रजग प्रोसीजर होगा म्रोर जो भ्राज बाएड बजेरात के बाद पकड़ें जाएंगे या इस कानून के लागु हो जाने के बाद पकड़े जाएंगे गिरफ-तार किए जाएंगे, उनके लिए अनग कान्न **होगा । यह** क्या हास्यास्पद स्थिति है ? का हंग के धंदर एक ही दार्थ के विद्यारों

अकार के कानून रहेंगें। इसलिए मैं धापके माध्यत से मांग करता है साकार से कि इस पर गंभीरना से जिंचार करे। जो हमारी स्टेंडिंग कमेटी थी गृह विभाग की मैं उउकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें गृह सिवव ने कह दिया कि यह कातून रिटोस्प-विटानहीं हो सकता। कानून **हम** लोग भी जानते हैं मैडम्, भीर यह पदन विदानों का सदन है, ऐल्डर्स का सदन है। यह सब लोग कान्य के वेता हैं ग्रीर केवत गृह सचिव कह दें कि रिट्रोस्पेक्टिंग इफ़ेक्ट नहीं होता है तो इसको यह सदन मानने के लिए र्तयार नहीं है।

मैंडम, यत्र केवल एक धारा की ग्रोर इशारा करके मैं भवनी बात समाप्त करूंगा। इस विशेषक की धारा पांच है और धारा पांच में यह कहा गया है कि ध्रगर किसी आएमी के पास, में दो नाइन पढ़ ही देता हुं –"यदि कोई व्यक्ति किसी बातंक-बादी या विष्वंशकारी की सहायता करने के अध्यय से अध्यक्ष मधिति।म 1959, विस्फोटक ग्रह्मिन्य 1884, विस्फोटक पदार्थं ग्रिविनियम 1908 या ज्यलनशील पदार्थ ग्रिधिनियम 1952 के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए कि सी नियम का उल्लंघ<sup>ः</sup> करेगा तो वह पूत्रीक्त प्रश्चिनियमों या उनके अधीर बनाए गए ियमों के होते हुए भी कारा≭ास की सन्ना पाएगा" **ग्रो**र पहले कानून था कि अगर कोई क्षेत्र उप्रवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, श्रगर ज∃के श्रंदर इस प्रकार का विस्को**टक** परार्थ या हथियार उसके पात मिलहा था तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती थी, टाडा में बंद होता था। उनको डेढ़ साल दो साल हो गए लेकिन वे लोग ग्राजभी बंद पड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा वा कि इसके पूर्वया ऋाज के पूर्वजो लोग बंद किए गए हैं उनके लिए टाडा क नून मौर जो इस बिल, इस दिधेयक के पासे हो जाने के बाद, जब यह बाबून हो जाएगा उसके बाद बंद किए जाएंगे उनके लिए दूसरा कानूर होगा। इसलिए सरकार को इस पर गं भीरता से विचार करता होगा और इंको रेट्टो-स्पेविष्टन कर देना चाहिए। इसको रेंद्रोस्पे-विष्टव का देंने में गृह मंत्री को कोई किट-मार्ड नहीं होनी पालिए।

श्रंत में मेरी सरकार से मांग है कि अराप इस करनुन को वापस ले लीजिए और भापस लेकर इन वातों पर गंभीरता से विचार करिए । यह विक्षेत्रक स्नावश्यक है। यदि ग्राप इसको ग्रावश्यक समझते हैं कि ग्राप मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाइए-स्टेंडिंग कमेटी ने भी सुझाव दिया है कि आप देश के समाम मनोवैज्ञानिकों की एक बैठक बुतायें, देश के राजमक्त लोगों की एक बैठक बुलाइए, जो इस बारेमें सरकार को सुझाव देसके कि इससे कैसे निषटा जा सकता है। वरना मेरा विश्वास है कि इस तर्रु के कानून से माप उप-वाद की समस्या से नहीं निपट सकते। यह विश्वेयक जो छ।पने पेश किया है यह छ।पने दबाव में प्राक्तर पेश किया क्योंकि ग्रापके दो मंत्रियों ने धमकी दी थी, आएके ट्रेजरी बेंच के संसद सदस्यों ने धमकी दी थीं और देश के तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था। यह एक काला कानून है, गलत कानून है, इतको भ्राप वापसे लीजिए। प्रापिती देश के लोगों की भावता का. अपन मंत्रिमंडल के सदस्यों का, अपनी पार्टी के संसद सदस्यों का और हम सब लागों की भविनाओं का छादर करना चाहिए। इस कानून से उपवाद की समस्या का हज नहीं किया जा सकता है। यह कातून प्रगर पास हो जाएगा तो निश्चित रूप संजिस तरह से टाडा का दुरुपनोग किया गया है उसी तरह से इस कार्न का भी दुरुपयाग होगा । बहुत बहुत बन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI KAMLA SINHA). The House is adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (MISE SAROJ KHAPARDE): In the Chair.

SHRI P.. UPENDRA (Andhra Pradesh); Madam, Vice-Chairman while sharing some reservations expressed by the Members on both the sides, I welcome the Bill because it does away with the TADA which has gained notoriety among the people because it was widely misused. Innocent People suffered due to the application ot! this Act and there were apprehensions among certain sections of the population that it was being used against them particularly. From that angle I welcome the Bill.

Some friends on my right side have expressions that the Govern ment is indulging in deception ard fraud. I do not susbscribe to view because, if the Prime Minister or the Government was serious about continuation of or extending the Act. there was no hurdle 'oecause a ma jo. rity of the Chief Ministers belong ing to various parties had supported the continuation of the Act. If tha Government wanted to continue Act, with the major Opposition ties in the Parliament willing to sup port on this account, the Government could have done it straightaway extending the Act. But, because of public opinion in the because of the allegations widespread misuse of this Act bv various State Governments. tne Government has rightly decided to allow the Act to lapse and bring forward a new legislation. Then; was also a plea that there was no nsed for TADA and some of its provisions are already in the existing laws or some more can be added to the existing law and there was no need for this draconian law. That was a demand by many opposition parties as well as by some of the organisations. Madam, the very same thing is sought to be done by the Government. through this Bill. I, therefore, welcome this Bill on that account also. It does away with the most obnoxious features of the TADA wluch were widely criticised.

I am happy that the parties here, while expressing their reservations on certain prtovJeMns to the Bill,

[Shn P. Upendra]

emphasised the beed to tackle terrorism on a wartooting. They were even willing to agree to certain special provisions to tackle this problem. Their apprehensions cantered round the possible misuse of this new legisla-jon also. So, soma amendments have been proposed and one or two paries have specially emphasised the need to redefine ter. ror-sm and if that is the only obstacle in getting tha consensus of the parties, I would urge upon the Government to consider these amendments because they are only conlin-ed to the detfintion of terrorism,

The second point which I would like to emphase is that the people? who are under-irials now under TADA, though it lapses today, none of them will, be benefited by new law. Aft rar all, the demand for repeal of the TADA came because of the widespread misuse of that Act the State Governments. the same injustice is perpetuated and the people who are held under the TADA and are being tried under tho TADA, continue to be tried the same courts under different names. the message which we want to give the country, which the Govern, ment wants to give to the country, that the draconian has been repealed, will not Therefore, I feel that all the cases will havo to be screened and only such ceses supported by proper evidence, should be referred to the new courts. In fact, I do ont know whether the Law Minister will be able to tell that the existing courts could be allowed to go. New special courts should be appointed and cases should be referred to them selectively, barod on the evidence which is available there, depending upon the progress of the case before the earl'er TADA court. If they are already in the final stage, backed by proper evidence they could be continued or if they are in the preliminar wage and uberge-eleets aew

not been filed properly, then those cases should be dropped. Unless-this is done this Act will not receive the support which we anticipate, I also felt that the State Governments were being blamed by all for tins misuse of the emergency provisions, because the provisions which were meant particularly to deal with a specific situation were used against political opponents and innocent people particularly, some persons belonging to a particular community. It would have been better if these Special Courts were set uP by the Centre and not by the State Governments. And I bel eve it. is possble under the law. After all, terrorism is not confined to a particular State, it is a national problem. More than one State is involved in this. In that case, the Centre could have appointed the Special Court and the judges could have teen selected with the approval of the Chief Justice of the Supreme Court or the concerned High Court. And thlat would have created greater confidence among the people and prevented the misuse of the Act by the State Governments. I would also like to draw the attention of the Home Minister as well as the Law Minister to clause 13(1) which says, "A Special Court may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial upon receiving complaints

of facts which conttitute-----" means the Special Court can take cognizance of an offence even if the man is not committed to it by the magistrate. This was also misused. I am personally aware of a case in Delhi where a TADA judge suo motu ordered the arrest of a particular person and he goes on passing judgments and comments on the jail authorities, on the hospital authorities on the Government everybody. Everyday we hear so many comment\* of the judge and when the man is shifted to the hospital, he called for the medical record for several yeras and started questioning the doctors on medical aspects which he is not supposed to do. Uwoitare the

not put to the vote 314 of the House tor adoption

power to examine the cases *suo motu* should not have been given to the Special Courts again because this is likely to be misused.

Madam, these are the two or three points which I wanted to make.

While concluding, I would like to say that I have uome across a small piece of editorial written by yesterday's "Pioneer" which I quote. "While genuine criticism, born of concern for the country's democratic traditions, should be taken into account, carping critics who are willing to find fault with laws to sustain their politics of opportunism should be ignored. The Government must prove that the sanctity of the law cannot be violated—either by rfe keepers or the people." Thiank you, Madam.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Madam Vice-Chairman, at last the obnoxious draconian and inhuman piece of legislation which was the subject matter of a debate, not only in India but the world over, has been taken out from the Statute Book. I congratulate the Government for the bold act in spite of the pressure mounted on the Government for retention of TADA. Madam Vice-Chairman, the new Bill which is being introduced today, the Criminal Law Amendment Bill, has certain far-reaching changes and the Government has tried to remove the apprehensions and also the possible misuse in the new Bill. But I am afraid, the new Bill has not come up to the expectations. It is not evident from the Bill whether the misuse could be minimised. When one reads the provisions of the Bill, it is evident that the misus may continue. There is very little safeguard to curb the misuse of the TADA provisions which were misuse by the police earlier. Therefore, something has to be done to see that there would be no more misuse of such draconian laws. Law Is necessary. Terrorism has to curbed. Nobody wants terrorism. No person in the country would eay that

terrorism should not be curbed. To curb terrorism, law is necessary. But that does not mean that overriding powers shuld be given to the authorities who are asked to curb terrorism.

Madam, Vice-Chairman, the police should use their ski.Is to detect terrorism not by the force of law. Law is there. The crimina. law has to be used and the police should detect terrorism by their sklis, not by taking recourse to draco ian laws. That way, anybody can do it. What is the fun of giving so mud powers to the police? The police would become lethargic and they would misuse the law.

It is being said that the Muslims are opposing the Jaw and that is why the Government is bending. This is a very uncharitable remark to make against a section of the society. The Muslims have not opposed this law just because they art arrested. From 1992, because of the way the law had been misused, because of the way certain sections of the law-enforcing authorities had misused the law, it had brought out protests.

If a section of the society feels that the law had been directed towards them, if that section of the society protests against it, what is wrong in it? Should that section of the society not have the right to protest against it? If not, what should they do? Where should they protest?

If a certain draconian law is introduced, the citizens have the right to prptest against the nvsuse of the law. This fe what they have done. How car anybody think that this is election pnlifcs, or. only to svopease a certain section of the society, the Government had bent before them? No.

Earlier, the Government had taken into account the opirion of various sectiona of the Society and set up the National Human Riphts Commiss-sion. Does it mean that thev have bowed *no the* pressure of Muslims? No.

not put ta the vote 316 of the House tor adoption

[Shri K. Rahman Khian] If the Government takes into account the opinion of certain intellectuals who are raising their voice against it, does it mean that they have bent to the pressure of Muslims? No. This is a very uncharitable remark. This is minimising the importance of the whole thing.

As far ss TADA is concerned, it is not that because the Muslims have protested, the Government has looked into it. They have adrmtted the weaknesses. The Government itself has readily admitted. The Government itself, has readily admitted that the law has been misused.

In place of TADA, a new law is proposed to be enacted. Why should we be in a hurry to enact this law? Heavens are not going to fall. Of course, today; the law is going to lapse. TADA is going to today. But let there foe a careful con of every provision of this sideration new law because we are going to apply this law on the citizens. We are the elected representatives of the people here, in Parliament. We are to legislate various laws for the peo ple who have elected and sent us here. We are not here to send them to jail. We are here to fulfil aspirations of the people, If we have to fulfil the aspirations of the people, this piece of legislation which we are legislating for them should be a carafully thought out legislation. As elected representatives of the people. we should be conscious of this fact.

Madam, we should not be In a hurry to pass this legislation because, I am, afraid; there are certain provisions of the new law which would again be misused. Take for example clause 4(1). Clause 4(1) is again, in my opinion; a draconian provision. The definition is so ambiguous that if somebody advocates, he can also be arrested: under this law. I don't know how this law has been drafted. Who has drafted this law? We have

to put our seal of approval for what has been phrased toy somebody. Nobody is against the law. We are not against the law. This House is not against the law. This Parliament is not against the law. But, why should we accept whatever has been written? So, there is need that clause 4 has to be carefully drafted. The definitions of "terrorism" and "disruptive activities" have to be properly given. We should make the law-enforcing authbrities accountable. There is no provision to make them accountable. Our laws will be all right, if v/e make them accountable: but we do not make anybody accountable, particularly for actions under the criminal laws. If you do not have their accountability such laws are not proper laws.

Now, we have introduced clause 24(2). under which the police personnel will, be punished if they misused the law, but clause 24(1) give3 them a blanket power. It says that if one does it in good faith, he will not be questioned. So, for everything he will say that he has done it in good faith... (Time bell)

THE VICE CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please be brief.

SHRI K. RAHMAN KHAN: How are you going to take action under clause 24(2) because they will always say that they have done it in good faith?

Yon are amending section 167 of the Code of Criminal Procedure. An accused person goes to judicial custody from police custody, and again he can be taken back under police enstody. Can you not bring such laws which are accepted by people. Terrorism can be controlled. Terrorism and disruptive activities can be controlled by The more stringent you make normal laws. laws the morp will they be misused by the neoole who implement them. The Deople. minorities, hive lost particularly the confidence. in the police. How are you going to bring back

the people s confidence in the police? This law will not bring back their confidence in the police because the police have misused the TADA for their own interests. Laws should be such that they inspire the confidence of the people in the police. If you just say that Muslims have lost the onfidence, is it not the duty of Parliament to see why they have lost the confidence, whichever Govern. ment is there? That is why we are pleading with our Government that it should restore the confidence of ;he minorities in the police. They have lost the confidence of the police because tha police behave! like that.

कुछ लोगों को टाडा से, टाडा के कानुन से इश्क हो गया है । जब इश्क जाता है तो जुनून पैदा हो जाता है और जब जुनून इंसान की हो जाता है ती उसकी ग्रेकन बेशार हो जाती है। ग्राज टाडा कातून के जो मुहाफिज हैं, जो चाहते हैं कि टांडा कानून इस मुल्क में रहें, उनका इश्क दीयानगी की हद तक चला गया है और वह टाडा को बचाना चाहते हैं, चाहै किसी के ऊपर जुल्म ही क्यों न हो । यह क्या बात है ? मैं यह बात दर्द से कह रहा है, यहां पर जुल्म जिस पर हुआ। है, उसी को दर्द का एहसास हो रहा है। यह कह देना ग्रासान है कि मुसलमानों को अपीज किया जाए, भगर अंगर यह जुल्म ग्रापके ऊपर होता तो भ्राप किस तरह से उठ खड़े होते, किसी को ग्राप वर्दास्त नहीं कर सकते थे। जो इंसान तकलीफ बर्दाश्त करता है, उन्नी को दर्द का एहसान होता है, जो इंसान वातों से काम करता है, उसको दर्दका एहसास नहीं होता । तो अगर **ग्रा**यने ग्राज जिसके ऊपर जुल्म हुग्रा है, उसकी बात नहीं सूनी तो ऋषको उसकी बद्दश्रा लगेगी । क्या इस देश में हजारों की तादाद में टेरेरिस्ट रहते हैं ? क्या पार्लियामेंट को यह सोचना पड़ेगा कि हजारों की ताबाद में टेरेरिस्ट हिन्दुस्तान में हैं ? टेरेरिस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए भ्रौर उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाइए, मैं कहंगा कि टेरेरिस्ट के ऊपर कैपिटल पनिशमेन्ट कानुन को भी लाइए ।

मैं कहुंगा कि टेरिस्ट का ब्राइडेटिफाई कीिए लेकिन बगैर श्राइडेंटीफाई किए इस पुल्बा के लोगों को आप पनिश मत कीिए । तो मैं इस सरकार से ब्रपील करूं।, होम मिनिस्टर से ऋषील करूंगा कि आप कानून लाइए इस देश टैरेिं ज्य को खत्म करने के लिए, इस मुल्य को हमें बचाना है, इस मुल्क के वास् ! हमें कुर्वानी देनी है, हरेक शख्स इस गुल्ब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ंकिन ग्रफसरशाही के बने हुए कानून को सम पचा नहीं सकते हैं। हमारे ज्या । तर कानून बनते हैं ग्रफसरशाही के वासः, हम लागों के वास्ते कानून नहीं बना है और हम मुसीबत में ग्रा जाते हैं ! आज हम मुसीबत में हैं, इसलिए कि हम श्रफसरों की बात मान रहे हैं, लोगों की बात नहीं मान रहे हैं। अगर हम लोग की ऐस्पिरेशंस की मानते, लोगों की ऐस्पिरेशंस के श्रनसार काम करते तो ग्राप हमें तकलीफ नहीं होती । ग्रफसरों का क्या है, तुम आते हो जाते हो, पोर्शिटकल डिसीजन को लेने का कोई हक नहीं है, हमको पोलिटिकल डिसीजन लेन होंगा। मैं ग्रंपील करूंगा कि हमको पोर्निटिकल डिसीजन लेना है, लोगों की ऐस्रिरेशंस को सामने रखकर डिसीजन लेन है, किसी के दबाव में ग्राकर हमें डिस्डिन नहीं लेना । मैं दोबारा ग्रपील करूगा कि तरमीमात् के साथ ग्राप इस कार न को बना दीर्जिए । में हुकुमत को दाद देता है कि उन्होंने लोगों की ऐस्पि-रेशं को समझा, टाडा को समाप्त किया, टाड को निकाला और नया बिल जो आप लाए हैं, उसमें श्रीर ज्यादा तरमीमात की जरूरत है। एक ग्रमेंटमेंट भी मैंने मूव किया है, उस अमेंडमेंट के साथ अगर इस विल की पास करें तो बहुत ग्रन्छा होगा। शुक्तिया ।

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil. nadu.); Madam, we would like to know the time of the voting so that -we can arrange Members to be pre. sent here.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE); 3.30 p.m. was the time, but I don't think; we

wll be able to finish. the speeches even by 4

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Then you fix up 4.30. (Interruptions) The Member is asking for fixing up the voting time so that everybody is present in the House.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): We will see, how we go If we finish before 4.30 or 4 o' clock, then there is no problem.

3.00 p.m.

श्री संघ प्रिय गीतम (उत्तर प्रदेश): महोदया, जब कोई सरकार विधेयक लांती है तो उ.को ग्रीचित्यपूर्ण ठहराने के लिए तरह-तरह के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं श्रीर कोई न कोई तर्क उनमें ऐसा निकल भाता है जो इनके प्रस्तावं या विधेयक को भ्रौचित्यपूर्ण ठहराने में इनका सहयोग करता है। लेकिन सुझे बड़े ग्रफसें से के साथ कहना पड़ता है कि टाडा को समाप्त करने ग्रीर दण्ड विधि संशोधन विधेयक को लाने के बारे में सरकार ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, वह सब निराधार हैं श्रौर मैं इनको तर्क नहीं कह कर के कुतर्क कहता हूं । महोदया, सबसे पहले में ब्रानी बात यहां से प्रारम्भ करता हूं कि ब्रातंकवादी और विध्वंशक क्रिशकलापों से संबंधित जो टाडा का विधेयक था, क्या भाज उसकी मावश्यकता नहीं रही । . . . (ऋवद्यान) . . .

मैं निवेदन कर रहा था कि टाडा को दो प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। मैं सदन का ध्यान चाहंगा । नम्बर-1, नपा जिन कारणों से टाडा को लाया गया या वह कारण समाप्त हो गए ? कारण थे— आतंकवादी और विध्वंशक कियाकलापों का पैदा होना और उनका निरन्तर बढ़ते रहना । प्रहोदया, गृह मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि वे कार्यकलाप ग्राज विद्यमान भी हैं

# और बढ़ भी रहे हैं । मैं उतना ही रिलिवेंट पोर्शन पढुंगा :---

adoption

"Statement of Objects and Eca, sons; In the background of escalatm terrorist and disruptive activities 1 several parts of the country the let rorlst and Disruptive Activity (Prevention) Act, 1985 was first er acted on 23rd May, 1985. It was t remain in force for a period of tw years. However, in tha context c the continued terrorist violence in th country, the Terrorist and Disruj tive Activities, (Prevention) Ac 1987 was enacted.

The question of extension or repes of the Terrorist and Disruptive Act: vities (Prevention) Act, 1987 wi have to be viewed in the . light c the overall security environment c the country. The aid and assismanc from across the border received to various terrorist groups in India bs to be taken note of. Terrorism, whic was initially confined to the Sta1 of Punjab, Jammu and Kashmir an North East, has spread to seven other parts of the country. Th acquisition by terrorist groups c highly sophisticated weaponry, remot control devices, rocket launchers an professional training have added new dimension to the problem."

This was the admission of th Government.

जब ग्राज भी यह सारी गतिविधियां विद्यमान हैं तो टाडा को समाप्त नहीं किया जा सकता । दूसरे, यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांडा को संवैधानिक ठहराया है। इसी में उसका उल्लेख है :

• "The constitutional validity of the said Act was upheld by the Suprerc Court in Kartar Singh vs. State (Punjab."

उपसमाध्यक्ष (कुमारी सरोक्ष खापडें ) : ग्राप पढने में न जाएड ।

श्री संघ त्रिय गौतमः अञ्चल ठीक है । मैडम्, स्प्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया--एक तो यह कारण । दूसरा

यह कारण, कि क्या यह विवयक ग्रातक-बादी रिधेयक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए और उनमें लिप्त लोगों को सजा दिलाने में नाकामयाब रहा है ? अगर यह दो बातें हैं तो समाप्त कर दीजिए, मैं और मेरी पार्टी आपका समर्थन करेंगे । लेकित जब यह दोनों चीजें दिद्यमान हैं तो ग्राप टाडा समाप्त नहीं कर सकते । श्रवैधानिक कारणों से माप कर रहे हैं बदनीयती से कर रहे हैं । **ग्रब स**वाल श्राया कि इसके कुछ प्रावधानों का दुरुायोग हो रहा है । क्ष ।। करेंगे मेरे सांसद भाई, श्री चतुरानन मिश्र जी यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि हु तरे सांसदों, भाईयों को, हमको बहुत सी सहलियतें और सुविधाएं मिली हैं—-गैस कर्नेक्शन के क्पन, टेलीफोन के कनेक्शन, रेलवे के पास, एयर के पास इसके अलावा और बहुत सी सुविधाएं हैं। क्या हम इनका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, यह चार्चेज लगाए गए हैं। ग्रगर हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं तो यह हमारी सारी सुविधाएं समाप्त क्यों नहीं होनी च।हिए ? ग्राज हम सरवेंट क्वार्टर किराए पर उठा रहे हैं, हम ग्रपने मकानों के कमरे किराए पर उठा रहे हैं। हम ग्रापने सःथ जो कमोनियन है, वह दूसरे आदमी को लंजाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN MISS SAROJ KHAPARDE): Gaatamji, please come to the point.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am coming to the point.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): This is not the way. Please stick to the subject.

श्री संघ श्रिय गीतमः कारण बताया गया कि इसका दुष्तायोग हो रह है। तो दुष्पयोग के लिए सप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायतें दों श्रीर सप्रीम कोर्ट ने कह. कि एक तो इसकी जांच किसी डिप्टी सुपरि-टेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा होनी चाहिए। इसका उल्लेख जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी रिपोर्ट में है। उन्होंने कहा श्रीर श्रीपको डायरेक्शन दी तो श्रीप इस प्रावधान को संशोधित कर सकते थे।

इसके अलावा आपको और भी हिदायते दीं स्प्रीम कोर्ट ने तो अ।पने उनको क्यों नहीं सुधारा ? महोदया, मेरा एक तो कहना यह है कि टांडा को समाप्त करना ग्रौर इस विधेयक को लाना, यह ग्रौनित्य-पूर्ण नहीं है । फिर इसकी विडम्बनः देखिए, इसमें चार बातें ऐसी हैं, उनकी क्रोर में ध्यान दिलानः चाहंगा। धारा 3 के ग्रंदर जहां गतिविधियां गिनाई गई हैं, उनमें यह नहीं जोड़ा गया कि **ग्रगर कोई किसी विशेष संभ्रांत नागरिक** या उसके परिवारजनों का ऋपहरण करके ले जाता है ग्रीर ग्रपने कब्जे में रखता है ग्रीर दूसरे म्रातंकवादियों को छड़वाता है, उस पर भी लागू होना चाहिए। मुक्ती मोहम्मद सईद साहब गृह मंत्री थे, उनकी बेटी को क्रातंकवादी ले गए और केवल इसलिए ले गए कि ग्रातंकवादियों को छुड़वानाथा। क्याइसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए ? इसके प्रलावा महोदया, एक धारा इसमें है 17 और उसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए और औचित्य क्या दिया गया, जो ब्रापकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि सप्रीम कोर्ट में जाने में गरीबों को मंहगा पडेगः न्याय । महोदया, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट गाजियाबाद से पांच सौ किलोमीटर दूर है ग्रौर उत्तर काशी से ब्राठ सौ किलोमीटर दूर है ग्रौर हमारा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, युव्यीव से करीब चार सौ, पांच सौ किलोमीटर से मिला हुम्रा है । सप्रीम कोर्ट नजदीक है, हाई कोर्ट दूर है। तो में स्नापने प्रार्थना कर रहा था कि यह भी ग्रौचित्यपूर्ण तर्क नहीं है। कहा गया धारा 24 में कि अपगर कोई पुलिस वाला बदनियती से किसी को बंद करतः है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । मुझे हंसी ग्राई, थोड़ा सं मैं कानून जानता हूं । कानून मंत्री बैठे हैं, यहां पर यह ग्रनःवश्यक है।

न्नाखिरी बात है मेरी । तीन बातें इसमें कही गई हैं। एक तो यह कहा गया है कि टाडा ऐसे केस में जो न्नालंकवादी गतिविधियां पैदा करेगा या कोई विध्वंसकारी कार्यकलाप करेगा, उसके खिलाफ रिपोर्ट तब तक दर्ज नहीं होगी जब तक जिला पुलिस अधीक्षक स्वीकृति नहीं देगा। तो फिर कहां ग्रा गया वह फंसाना पुलिस के द्वाराः? जब रिपोर्ट ही नहीं लिखी जयेगी पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति के बिना, फिर दूसरा विः इसकी जांच, इनवेस्टिगेशन या तो ए०सी भी० रैंक का व्यक्ति करेगा जहां पर लायू यह प्रथा है या डिप्टी सुपरिटेंडेंट झाफ पुलिस करेगा और तीसरा, ग्रारोपपत, जिसे चार्ज-शीट कहते हैं. मैडम यह ास्ट है ... (व्यवधान) ..

द्ध्य समाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापडें): बार-बार लास्ट बोलते जाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा कहते जाते हैं।

श्री संघ प्रिय गीतन : मैडम मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूं, बीस मिनट ग्रापने उस सदस्य की ग्रभी दिये हैं तो मुझे दस मिनट तो दीजिये ।

ड्यसभाज्यस (जुनारी सरोध खापर्डे) : अपकी पर्टी ने अल्परेडी सात मिनट प्रधिक से लिये हैं और मैंने अल्पको आठ मिनट दिये हैं। ..(ब्यवधान)... बहुस मत करिये।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM; I am concluding. Madam

मारीप-पत्न तब तक प्रेषित स्रदःलत में नहीं होगा जब तक डायरेक्टर जनरल साफ पुलिस स्वीकृति नहीं देगा। तो जब तीन जगह पर सा गया कि वगैर पुलिस स्वीकृति की स्वीकृति के रिपोर्ट नहीं होगी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साफ पुलिस से कम का स्रादमी इनवेस्टिगेशन नहीं करेगा और वगैर डी॰जी॰पी॰ की स्वीकृति के चर्ज शीट नहीं जायेगी तो पुलिस वाला कहां से मैलेशियस और मैलाफाईड इंटेंशन का हो जायेगा ? यह बहुत ही गलत निराधार, सुपरफलूस, श्रमावश्यक है

श्रीर मेंटल वैकरप्सी का सब्त है यह जिसने ड्रापट किया है यह बिल। ग्रीर जो लःस्ट सेंटेंस है . . . (ब्यवधान) . . . ग्रगर ग्राप पुलिस की यह पावर ले लेंगे, माफ करना, अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो एक भी टेरेरिस्ट को कोई पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं करेगा और टैरेरिस्ट सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर घूमेंगें। इसलिये मैंने इस संबंध में अपने 4 संशोधन पेश किये हैं। उसमें एक तो यह है कि हाई कोर्ट जहां जहां भी है वहां पर सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाये। (अनय की घंटी) तो मैडम मैं इन शब्दों के संध्य कहना चाहता हूं कि या तो टाडा कि इन संशोधनों के साथ बरकरार रखा जाय ग्रीर यदि इस विधेयक को लाना ही है तो इसकी धारा 317 में सौर 24 (समद की घंटी) संशोधन कर दिया जाये । धन्यवःदं, मैं समाप्त करता हुं।

श्री में हुग्मद मसू खान (उत्तर प्रदेश): मोहतरमा शृक्षिया । मोहतरमा, कई हुग्तों से यह बात मुनी जा रही हैं कि टाडा खत्म होगा, टाडा खत्म होगा । मगर जब वह वक्त ग्राया, टाडा को रिपील करने का तो उस पर मुद्दो एक शेर याद ग्राता है कि :

> की मेरे करल के बाद जफा से तोबा, हाय उस जूद-ए-पशेंमां का पशेमां होना।

मोहतरमा कल जब होम मिनिस्टर साहब एक्सप्लेनेशन है रहे थे तो राम जेठमलानी साहब ने सवाल पूछा था कि जो लोग टडा में बन्द हैं उन पर किस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा तो होम मिनि-स्टर साहब ने कहा कि टाडा के तहत । फिर रिट्रोस्पेक्टिव और प्रासपेक्टिव की भी बात हुई। मैं इतनी टेकनकलीटीज में नहीं जाना चाहता। मैं गांव का रहने बाला हूं। गांव में जब सांप निकतता है तो लोग इकट्ठा होते हैं और उसका सर कुचल देते हैं, बाडी कुचल देते हैं और जब पूछ जरा जरा हिलती है तो गांव के बूढ़े कहते हैं कि इसकी भी कुचल दो, नहीं तो यह फिर से जिंदा हो जायेगा । मैं म्रापसे मुजारिश करंगा कि इस टाइ की पूछ को भी कुचल दो । इस एक्ट को बिल्कुल बदत दो, इस वास्ते कि टाइ जैसे कि मैंने कहा इससे बिल्कुल टट कर दिया जाये, इसको टाटा कर दो ग्रीर टाइ को बिल्कुल खत्म कर दें।

मोहतरमः, दो क नुन हमारे श्राये हैं। एक तो मीसा का कानून है जिसमें इस सदन के बहुत से लोग जेल में गये हैं। उसके बाद टेडा कानुन प्राया । मैं एक मिसाल यहां पर देना च हता है । मेरे बहुत से सत्यी, जिसमें जनसंघ के लोग भी थे और हम लोग भी थे, मैं भी उतमें था, हम लोग बरेली जेल में बन्द थे। एक 90 साल का ग्रादमी जिसका हतिया का ग्रापरेशन हुम्रा था, जो कि पेशाब भी बैठकर नहीं कर सकतः था, वर्तन उसके सामने रखा जाता था। लेकिन फाइल में उसके खिलाफ केस बनःया कि वह बिजली के पीत पर चढकर तार काट रहा था, इस वास्ते इसके कपर मीसः लगाया । दूसरी मिताल में टाडा की देना चहत हूं। गुजरत में एक ब्रादमी सोक : स्टेटस रखत था। उसके बहुत से फंक्शन होते थे और बहुत से लोग उसमें ल मिल होते थे। पुलित कली ने उसके ऊपर टडालगःयः स्रौर दूसरे लोगों को भी पहाइ लिया, जिनके फोटोग्राफ उसके साथ थे। उन लोगों ने पूछा कि साहब ठीक है, हमें जिल्दगी घर जेंल में रिखये मगर हमें हमार कदूर तो वता दीजिये। तो पुलिस व लों ने वे फोटो उनको दिखाये श्रीर कहा कि इसमें ग्रापका फोटो है, इस वजह से तुम्हें जेल में रखा है। उसके बाद एक अन्दमी ने कान्शिनर से पूछा कि आपके साथ भी हमारा फोटो है तो भ्राप भी जेल में जरइये । क्योंकि ग्राप भी तो यहां पर हमारे साथ बैठे हैं । कहने का मतलब है कि किस तरह से भीता श्रीर टाडा का मिस युज क्ष्माः । हर एक शख्स चाहता है कि दहशतगदी खत्म हो । मेरे ख्वाल में यह हर शस्स चाहताहै। ग्राप शख्य रों को देखिये उनसे यह पतः चलतः है कि दहरत-गर्दी अकेले हिन्दुस्तान में नहीं है, यह तो इस्टरनेशल प्रावताम होती वली जा रही है। बहरहाल, दहशतगर्दी को खत्म करने के

वास्ते क्राप जितने भी सख्त से सख्त कानून लायें, उनसे यह दहकतगदी खत्म नहीं हुई और मासूम लोग इसमें पकड़े गये। इसको देखकर मुझे वह मिसाल याद क्राती है कि:

मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।

पहला मिश्रा मैं नहीं पढ़ूंगा। शायद उससे दूसरे भाई कुछ और मतलब निकास लें इसलिये बहरहाल मैं दूसरे से ही काम चला लेता हूं।

मैं इस सिलसिले में यह ग्रहम मशविरा देन. चःहत<sub>्</sub>हं कि य**ह दहशतगर्दी खत्म** हो सकती है ग्रगर इसमें ग्रावाम का ताबून लिया जाय । कोई भी सेंसिबल ग्रादमी यह नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क के अन्दर दहशतगर्दी रहे लेकिन इसके लिये ग्रवाम का तःबन जरुरी है और आवाम के तब्न के लिये सरकार को जबान देनी पड़ेंगी कि हम किसी मासुम को नहीं पकड़ेंगे। किसी मुलजिम को छोड़ेंगे नहीं । टाडा की तरह से जिस तरह से मासूम पकड़े गये ग्रौर जिस तरह से मुलजिम छोड़े गये या नहीं छोड़े गये, श्रगर कानून रहेगा तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। इस बात की कोई जमाना नहीं **है कि ग्राप** मासूम लोगों के खिलाफ जुल्म सितम नहीं करेंगे । उसकी एक मूरत है। मेरा मशविरा है ग्राप ग्रगर यह कानून लाते हैं तो दस एक अफसरों की सजा दे दीजिये जिन्होंने गलत लोगों को पकड़ कर क्राज तक जेल मे बन्द किया है। टाडा में मासुम लोगों को पकड़ कर बन्द किया गया, जिन जिन ग्रफसरों ने, पुलिस के लोगों ने गलत तरीके से बन्द किया ग्राप उसकी स्कीनिंग करा कर देस एक ग्राफसरों को सजा दे दीजिये फिर देखिये मासूम लोग पकड़े नहीं जार्येंगे । ग्राप कोई भी कानन बनायेंने उसमें ग्रापको ग्रावामी ताब्बुन नहीं मिलेगा, किसी तरह से दहशतगदी खत्म नहीं होगी। एक वात ग्रीर कहना चाहताहुं। सभी पक्षों के लोग एक बात कहते रहे कि मशीनरी ने मिसयुज किया मीसा में हमा भी बन्द थे। हमारे ऊपर इल्जाम यह लगाया गया था कि मैं एक टीम लेकर चल रहा हुं मोहतरमा

इंदिरा गांधी के कत्ल करने के वास्ते। में सोच भी नहीं सकता, तस्सब्द नहीं कर सकता किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेरे दिमाग में ऐसी सोच हो लेकिन पुलिस ने यह केस जड़ दिया था कि मैं टीम लेकर चल रहा हूं ग्राजमगढ़ से दिल्ली की तरफ मोहतरमा इंदिरा गांधी को कत्ल करने के लिये। ग्रगर **काइल देख** कर के फैसला होगा तो फाइल को बहुत मजबूत यह पुलिस वाले बनाते हैं। इसलिये मशीनरी पर इल्जाम देना गलत है। मशीनरी एक नाजी षोड़े की तरहसे हैं। सवार कैसा है, यह देखा जाना चाहिये। ग्रगर सवार तो नाजीघोड़ा ठीक हो जाता है, ग्रच्छी रफ्तार से चलता है उसी तरह से भ्रच्छी रफ्तार से चलेगा अपर सवार लुजलुज है तो घोड़ा उसको पटक भी देगा और दो लात भी लगा देगा कि जाओ तफरीह करो। मेरा कहना यह है कि मशीनरी को कंट्रोल करने के वास्ते जो इस कानन पर भ्रमल दरामद करायेंगें वह लोग जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक इस कानून का ग्रच्छा असर नहीं होगा, मासूम ही खाली तबाइ होंगे और मुलजिम कशी पकड़े नहीं जायेंगे । मशीनरी को ठीक करने के वास्ते श्राप यह इताइये कि टाडा को गलत इस्तेमाल करने वाली मशीनरी जो थी उसमें से कितने लोगों को ग्राप सजा देने जारहें हैं? तव तो कम से कम दिमाग में यह बात मालूम होगी कि कानुन का ग्रसर होगा । ग्रगर ग्राप मशीनरी को ठीक नहीं कर सकते, मशीनरी को ठीक करने का काम हक्मरान तक्षके का है, मशीनरी ठीक करने की ताकत हक्मरान में नहीं है तो मशीनरी को इल्जाम नहीं देंगे बत्कि हक्मरान को इल्जाम देंगे। उनके श्रन्दर कमी है। वह मुल्क को अपना मुल्क समझें ग्रीर दह्मतगर्दी खत्म करने के वास्ते, अपना असम्यम इरादः करें। जो भी मशोनरी

ग्रादमी हो, चाहे श्राई.ए.एस. अफसर हों, चाहे आई.पी.एस अफसर हो, उसने जो टाडा में गलती की है, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिये जो मासूम लोगों को टाडा में जेल में भर कर सजादी गई। ब्राखिरी बात कहकर मैं श्रपनी बात खत्म करता हूं । दहशतगर्दी जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि यह दलगत मामला नहीं हैं। यह पूरे देश का मामला है। मैं ग्रखबार में पढता हं ग्रीर ग्राज स्बह के ग्रखबार में मैंने देखा कि कराची में बेनजीर इशारा कर रही है कि यहां भी दहशतगर्दी फैल गई है। जिससे शिकवा अन्याम तौर से लोग करते थे वहां भी दहशतगर्दी है और बहुत से मुल्कों में पहुंच गई है। यह इंटर-नेशनल मसला हो गया है । लिहाज। को मिलाकरकेजब तमाम दलों तक दलों क। दिल साफ नहीं हो, दहशत गर्दी खत्म नहीं ही सकती । जब तक दलों को मिलायेंगे नहीं दिल साफ नहीं होंगे, दहशतगदीं खत्म नहीं होगी मत्क सबका है, किस तरह से हम भ्रापर्स ताब्युन से दहशतगदीं और इस किसन की चीज खत्म करें ब्रौर किसी मासूम को जरा भी तकलीफ न हो यह हमारे सामने हो तो कान्न ग्रमल करेगा हुनारे पास ग्रन्छो मशीनरी नहीं है मशीनरी को टाइट करने की हमां है तो भाप अच्छा पास ताकत नहीं कानन लाकर के क्या करेंगे। उसक कोई भ्रासर नहीं होगा। इसमें तो बहुत डिफेक्ट है, रिट्रोस्पेक्टिव भौ प्रोस्पेक्टिय का भी इसमें झगड़ा है ग्री बहुत सा झगड़ा है। इन सब बातों क कहने के बाद मैं श्रापका शुक्रिया अद करता हूं।

not put to the vote 330 of the House for adoption

شکریہ -مخترمہ کی معفق *ل میعے* ہے بات تعسنی جارہی ہے کہ فاڈ ا"ختر ہولا "كى ميرے مثل كے معد حبع ليسے توب محترمه كماجت هوكا منسره صاحب مس کاوں کارسے والدمیوں - کاوس میں جب سانب نکاتا ہے تولدگ انعقا معوت بين اوراميس مسريك ديتي بين-بالحى كحل دبيغ بس اورجب بويجه درا ﴿ وراعلتي بعاتم كاوُل كَ بواُمع عَنْدِينَ كه اسكومين كخل و واس الكيث كوبالكل بدل دو -اس واصلے الاعاد ا"حسب أر مين في المارسة بالعلى الع المدياجات اس كر خال كردواوا" فافل" كو بالعاضم كري

محترمه - دو قانون برارن مساين اسي ساكاقانون بيحسس اس معدد کے بہت سے لوگ جیل میں لَيْحَ مِينِ السِّيمَ لِحِدْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل مين ديك مثال بهان برزيا جابتاب مرے بہت میع معالی تین است "جن منگی" بعى أنمين تعاميم نعيك بريلي جيل مين مبعد تخورت و وسال کارْدی جسکارند" كارٌبرمينس مهواتعا-جور بيتها بيل نين أسكا فا إن ايسك ساجف مستفاحاتا منا-بيكي فائل مس استخلا فيسس بنايا كرون بجو كمربدل برجرهم تاد كام نسانعا - إس البيلي السيكي السيكة او ير ميديا" لكاما كما يدوسي مثال مین ثادر <sup>ه</sup>ی دینا جا بنا مها - گزات مين ايك أزى مدوخها العملة تغا ايسكة بهت يع فعكشنس بهوت تغ اوربیت ہے ہوگ اسمی شامل ہوتے محقه - بوليد والوائن امن تك (و رُمَّا دُرُّ " لگایا اورد وسرے توگوں کریسی بکرولیا عقة فرد المنس الميترمسا تو تقيان بهين زنزك بوجيل مين مكرمين بمارا تعمورته بناديج كاتو

د تعاجانا جاسهٔ - (گر

مك بات اود كبنا جا مهنام ول م

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE); Shri Sanatan Bisi.

SHRI SANATAN BISI: (Orissa): Madam, thank you for giving me this opportunity. Madam, I would like to deal with four points, firstly,

the objects; secondly; the Criminal Procedure Code, thirdly, the Indian Penal Code and fourthly, article 245 of the Constitution.

present Government has brou ght this Bill in a very dubious man ner. say dubious because the fact the Government has that not taken into consideration the report Standing given by the Committee. Government not The has also taken into consideration the views expres Opposi sed the Members of the tion parties. The Government has also not taken into consideration the views expressed by some Chief Ministers and leaders of other States.

Madam, so far as the Criminal Procedure Code and the Indian Penal Code are concerned both these Codes are not applicable to the State of Jammu and Kashmir. As per the Statement of Objects and Reasons the Government says that they are bringing this legislation for the pur. pose of curbing terrorism in Jammu and Kashmir, Punjab and North-East. Madam, already the Indian Pe-nal Code is there and the Criminal Procedure Code is also there The House is unanimous that the Indian Penal Code should be made applicable, by necessary amendments.

Madam, two things can be done. So far as Jammu and Kashmir, Punjab and Nortih-East are concerned, there are several laws under which you can deal. So far as other States are concerned, the Indian Penal Code is there and the Criminal Procedure Code is also there. There two Codes are very good. We can go ahead with them. It will not create any tension in the minds of the people.

Madam so far as the definitions in clause 3 and clause 4 of the present Bill are en encerned, almost all the parties have condemned it. almost all the parties have decried it, and also the Members of the Congress party. So far as the

not put to the vote 338 of the House for adoption

definitions of 'disruptive activities' j and 'terrorist acts' are concerned, these should not be there. The definitions should be i the Indian Penal in accordance with The pre. | sent Bill which they have introduced is not with good intentions and with spontaneity because the objectives are not very clear. Madam, as you know, article 248 of the Constitution is a residuary provision. It is clear that the Criminal Procedure Code is not applicable to the State of Jammu and Kashmir. Government wants to have sections But the 167; 260; 366, 367; 368: 371 and 438 of the Criminal Procedure Code in the present Bill. I would like to know from the hon. Home Minister what he is going to do with article 248 of the Constitution because corresponding Law are not inforce.

Lastly, when the entire nation is against the Criminal Law Amendment Bill, 1995, it should be withdrawn. This is the opinion of my party.

Thank you.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam, I am thankful to you for giving me this opportunity. I rise to oppose this Bill. This is the most dracooian piece of legislation. Madam, this, draconian legislation, was enacted 10 years ago on 23rd May, 1985. It is a painful paradox which was enacted a decade ago.

Madam, in 1975 emergency was de clared. Before that the citizens of India raising their heads high could walk into any capital of the world saying that they belonged to the tallest democracy in the world. That kind of reputation was totally destroyed during the dark days of the Emergency. Again, in the year 1985, TADA was enacted. Now, after ten years, in 1995; we are discussing in this August House another draconian, obnoxious piece of legislation.

The National Human Rights Commission demanded the repeal of TADA Its Chairman, hon. Shri Ranganath Mishra, has advised the Government not to renew TADA in view of its gross misuse in many parts of the country. But what is the Govern- ment doing? renewing TADA with a different name. Therefore, we oppose this Bill. There are ready laws of the land to deal with any situation. There is no necessity to bring forward legislation-TADA was misused against the minorities and now they say that it will not be misused and if any police officer, corruptly and coersively tries, maliciously proceeds or threatens to proceed, he will be dealt with cording to the provisions of this law. But the police officers normally tend to use such provisions only at the behest of the people power.2 Therefore, the Government will be responsible to what has happened in many States where thousands of people are languishing in jails for all these years due to political vendetta. Political opponents have been thrown into jails. This is happening in Tamil Nadu also. The fascist forces, after taking the the Government; have suppressed the human rights-. Therefore, this law is against the Declaration, of Human Rights in Geneva.

Now they say that if anybody is in jail on charges of terrorism for a period of five property can be confiscated; the years, his trial will be held in camera and the witnesses may not be identified.. Then there is . a possibility pf summary trial. Our experience all these self-evident. The Government had vears is assur. ed that TADA would be there only for two years. All the assurances given by the Government have. gone with the wind. Therefore, I would request the Government not to proceed with this piece of legislation.

What will happen to those are languishing in jails, those who were booked under TADA?

They

say that they will be dealt with accordance with the old TADA but you say that the old Act is being repealed. This is nothing but fraud and camouflage. I think those cases have to be dealt with in accordance with the ordinary laws of the land when you say that you are bringing forward a new legislation. We Opposing this Bill. I would like to see that this Bill is defeated lock, stock and If you pass this Bill, then those barrel. are languishing in jails persons who should not be dealt with under the old Act. That is why I say that it is a fraud and camouflage. The experience we have about this sort of black laws is that such laws have always been used by the people in charge of their implementation to suppress human rights. Therefore, Madam, I request the Government not to proceed with this Bill, but withdraw this Bill. This is my submission, Madam. Again, with all the force at my command, I oppose this Bill.

### \*श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र)

उसभाष्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज हम समाप्त हो रहे टाडा के बारे में और उसका स्थान सेने वाले "दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995" के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

महोदया, प्राज जिसकी मियाद समाप्त होने जा रही है उस टाडा को सबसे पहले 1985 में लागू किया गया था। पिछले दस साल से टाडा नाम का यह कानून इस देश में लागू था। दस साल के बाद इसको समाप्त किया जा रहा है। अगर मैं ऐसा कहूं कि आज टाडा का संतिम दिन है, तो वह गलत नहीं होगा। मैं इस सदन में एक सवाल उठाना चाहता हूं। सवाल यह है कि टाडा था टाडा जैसे कानूनों की जरुरत ही क्यों महसूस हुई। 1985 में जब यह कानून बनाया गया था तब इस कानून को किन उद्देग्यों से बनाया था? किन उद्देग्यों की पूर्ति के लिए यह कानून बनाया गया था। इस संदंभ में कई माननीय सदस्यों ने अपने बिचार पंश किए हैं। भारतीय दंड संहिता का भी उल्लेख किया गया है।

संगल यह है कि 1985 में जब यह फानून बनाया गया था तब भी भारतीय दंड संहिता मीजूद थी। लेकिन देश के फोने-कोने में जो बिध्वंसकः गतिविधियां, प्रातंकवादी कार्यवाहियां हो रही है, सीमा पार से मातंकवाद की बढ़ावा दिया जा रहा था, ऐसे नाजुक समय में स्थिति का मुका-बला करने के लिए उस वक्त के मीजूद कानून पर्याप्त नहीं थे। उन कानूनों के सहारे स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता था इमिक् एक नथे सशक कानून की मावश्यकता महसूस हुई भीर टाडा जैसे कानून को तत्कालीन संसद ने, सरकार ने प्रमल में लाया। समय समय पर टाडा की मियाद भी बढ़ाई गई।

ज्य-सभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापडें) : आप कुमा करके माईक के पाप्त आकर बोलिए।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): ग्राज टाडा कानून का ग्रांतिम दिन है। कल से टाडा कानून का कार्यान्वयन समाप्त हो जायेगा।

उपसभाष्यम (कुभारी सरोज खापहें) : प्रधान जी ग्राय कुम्या ग्रामे ग्राकर बोलिए।

श्री सतीश प्रधान : आज इस चर्चा के दौरान भारतीय दंड संहिता और दंड विधि के उल्लेख किए जा रहे हैं। यह सब कानून मौजूद होने के बावजूद 1985 में टाडा जैसा कानून संसद ने बनाया। इन कानूनों के प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, यह उस वक्त के संसद ने स्वीकार किया था। उस स्वीकारों कित के बाद ही टाडा कानून बनाया गया था। 1985 में जो स्थित थी और ग्राज 1995 में स्थित हैं उस में कोई खास फर्क नहीं हैं।

जिस स्थिति में यह कानून बनाया गया था वह स्थिति बरकरार है। स्थिति न में कोई परिवर्तन नहीं स्राया। पिछले दस

<sup>\*</sup>Transliteration of the Original Speech delivered in Marathi.

### [श्री सतीश प्रधान]

साल से इस कानून का कार्यान्वया हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस संदर्भ में जो वक्तव्य दिया था, गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के झाझार पर यह कहा जा सकता है कि इस साल पहले जो स्थिति थी वह झाज भी है। यह कानून जित परिस्थिति में बनाया गया था वह परिस्थिति झाज भी मौजूद है। फिर समल यह पैदा होता है कि झाज यह कानून क्यों बुरा लगने लगा। झाड़ भी देश में आतंकशादी गतिविधियां जारी हैं। बम कांड हो रहे हैं। सीमा पार से आतंकशाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आंकड़े यह बता रहे हैं कि 1985 से आतंकशाद की जो स्थिति थी वह आज भी है।

सरकार को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि किस तरह से अतंकवाद समाप्त किया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य देशद्रोहियों को सजा दिलाना था। जो देश की एकता, अखंडता और सार्वभौनिक्ता को चुनौती दे रहे थे उनको सजा दिलाने के लिए यह कानून बनाया गया था। देश को अतंकित करने वालों के खिलाफ यह कदम उठाया गया था।

1985 में केन्द्र सरकार ने टाडा को पारित करके राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी। केन्द्र सरकार ने एक प्रभावी हथियार राज्य सरकारों के हाथ में दिया था। लेकिन क्या राज्य सरकारें इसका सही इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं इसके बारे में सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। केन्द्र सरकार दर्शक की भूमिका ग्रदा करती रही। बास्तव में सरकार ने इस कानून का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, कार्यान्वयन कैसा हो रहा है, उत्तमें क्या कमियां हैं, उत्के क्या दुरुपयोग हो रहे हैं इसके बारे में ग्रध्ययन करना चाहिए था। यह जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की थी। लेकिन केन्द्र सरकार ने भ्रपना फर्ज पूरा नहीं किया। इस कानून का कहां ग्रीर कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे में ग्रध्ययन किया जाना चाहिएथा। लेकिन सरकार मुक दर्शक बन के तमाशा देवती रही।

आज सरकार दंड जिद्य संगाधन विवेषक, 1995 लेकर आयी है। इस बिल में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे केन्द्र सरकार इस कानून के कार्या-न्ययन में आ रही अभियां दूर कर संके। इसके अध्ययन की बोई व्यवस्था नहीं है। इसके कार्यान्वयन में निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस धालून के कार्यान्यन में हो रही गलियां दूर करने के लिए कोई प्रान्धान नहीं है। प्रगर इसके कार्यान्वयन में कोई ज्यादित्यां हुई तो क्या ग्राप इस कानून को दुवारा समाप्त करेंगे? जिस तरह ग्राप्त टाडा को समाप्त किया था रहा है क्या उसी तरह ग्राप इस कानून को भी एक दिन समाप्त करने के लिए संसद के सामने ग्रायेंगे? यह सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं।

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० स.स्वे): ग्रगर ऐसा है तो टाडा में भी संशोधन किया जासकता था।

श्री सहीश प्रधान : जो भी ग्रावश्यक है वह किया जाना चाहिए। यह मेरा ग्रन-रोध है। इस सदन में उन्वतम न्यायात्य के म्रादेश का भी उल्लेख किया गया। एक कमेटी बनाने के संदर्भ में भी बात उठायी गर्या है। उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी नियुक्त करके ग्रब तक दर्ज हुए केसेज के बारे में रिक्य करने के लिए कहा । लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हम्रा। कमेटीं बनाने का ग्रीर कानून में संशोधन करने का प्रधिकार संबद का है। लेकिन इस बात को उच्चतम न्यायालय को कहना पड़ा। न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी क्यों की ? यह भी एक सोचने लायक बात है। उच्चतम म्यायालय के इस टिप्पणी के बारे में सरकार ने ग्रब तक कोई विचार-विमर्श नहीं किया। कानून की दसरी संस्था ऐसा हस्तक्षेप क्यों कर रही है इसके बारे में भी सोचा नहीं गया । हमते इसके संशोधन के बारे में नहीं शोचा बल्कि हम इसको समाप्त करते पर तुल गये। इन सब बातों को मदनजर रखके मुझे एसा महसूस होता है कि हम कहीं न कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हम वास्तव में यह राह भटक रह हैं। तीसरी ग्रीर महत्वपूर्ण बात का भी में उल्लेख करना चाहता हूं। इस कानून प्रक्रिया में भ्रापने जो विशेष श्रदालतों का प्रावधान किया है उन श्रदालतों द्वारा समय पर निर्णय नहीं लिये जाते । सालों साल मामले चलते हैं। इस संदर्भ में मैं सरकार से ऋन्रोध करूंगा कि इन ग्रदालतों बारा तुरन्त निर्णय लिये जाने चाहिये । जो केसेस कोर्ट में जाते हैं उनका निपटारा कव होगा इस वात का कोई भरोसा नहीं होता। श्रतः मेरा सरकार से श्रनरोध है कि इन मामलों का तुरन्त निर्णय हो जाना चाहिये। न्याय व्यवस्था कळ्ए की चाल चल रही है। ग्राज के इस ग्रंतरिक्ष युग में हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल पंगु बन गयी है, अपाहिज बन गयी है। उसमें जान फंकते का काम कीन करेगा? **ब्राज पूरी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह** लग गया है। किसी मामले को लटकाना हो तो उससे अदा तिमें ले जाओ। और फिर 40=50 साल तक चैन की नींद सो जाभी । यह हालत हमारी प्राज न्याय पालिका की हो गई है। इसमें आमूल परिवर्तन की ग्रावश्यकता है। यह परि-वर्तन कौन करेगा ? तुरन्त न्याय करने की व्यवस्था होनी चाहिये । म्राज इमारी न्यायपालिका में जान फंकने की आवश्यकता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जरूर इस बात पर गौर करेगी।

**खप सम्राध्यक्ष (कुमारी सरीज खा**पर्डे) : प्रधान जी आप और कितना समय लेंगे? ं श्री सतीश प्रधान : मैं एक मिनट में भ्रथनो बात समाध्य करूंगा । मैं श्रंतिम मुद्दा पेश कर रहा हूं। कात्न के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि यह कानुन किसी विशेष समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया गया । लेकिन अह बात बिल्क्न बेब्नियाद है। राज्य सरकारों के आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि जो भी ग्रारोप लगाये जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं।

भ्राज से टाडा को समाप्त जारहाहै। टाडा के संदर्भ में सब बातें समाप्त हो जायेंगी । लेकिन इस बात से हमें सबक लेना चाहिये और भविष्य में समय-समय पर ग्रध्ययन संशोधन किये जाने चाहिये। अन्यवाद ।

उप सभाध्यक्ष (कुमारी सरोज बापर्डे) : ग्रापने एक मिनट में ग्रपनी बात समाप्त की इसके लिये मैं ग्रापकी ग्राभारी हूं।

श्री राज इस्वर (उत्तर प्रदेश) : माननीया उप सभाध्यक्ष महोदय , ग्रापका ग्रत्यन्त ग्राभारी हूँ कि ग्रापने मुझे बोलने का समय दिया । सन 1994 की 16 अगस्त को जब पहली वार मैंने इस सदन में बोला था तो "टाडा" के खिलाफ बोला वा श्रौर इस वक्त इस सदन के कई कोनों से प्रशंसा मौर प्यार दोनों ही फिला शा-भावना श्रीर भावावेश में कभी उत्तेजित भी हुन्न:, नादानी भी की । शायद श्राम जब इस "टाडा" का ब्राखिरी दिन है~ जब कोई म्राखिरी सांसें ले रहा हो तो उसके सामने माफी मांग लेनी चाहिये - मैंने अगर कोई भी सादानी की हो तो उसके लिये क्षमाप्राधी हैं क्योंकि म्राज "टाडा" की म्रास्त्रिरी सांस निकलने वाली है।

उप सभाध्यक महोदया, मैं ग्रीर मेर् दल इस "किमिनल लो ग्रमेंडमेंट बिल-1995" की प्रस्तुति ग्रीर इसमें खुपी हुई मंशा श्रोर उसकी नीयत का विरोध करते हैं। इस बिल को पढकर ग्रीर माननीय सदस्यों को सूनकर यह साफ जाहिर होता है कि यह बिल उस खतरे का प्रामाज है जिसकी भनक कई सालों से इस देश को मिल रही है। ब्रीरे-धीरे इस देश में राजनैतिक एवं सामा-जिक विचारधाराग्रों का पतन हो रहा है। एक वक्त था जब ग्रपराधी ग्रपनी जान को बचाने के लिये भ्रष्ट नेताओं की शरण में जाता था और एक वक्त वो ग्राया कि ग्रपराधी ग्रपनी जान की एवज में नेताश्रों को उनकी कसों तक पहुंचाने में मदद करने लगा और धीरे-धीरे वह नेताओं की मदद करने की बजाए खुद कूसी के करीब

# [श्री राज बब्बर]

पहुंच गया । प्रपराध, प्रपर भी जनत और राजनीति ऐसे चुल-मिल गये हैं कि समाज में बुराइयों की बुराई करना एक प्रसामा-जिक बात लगने लगी है और बुराई को बुराई फहने वाला व्यक्ति बेचारा कहलाने लगा है।

जब विचारधारा खत्म होती है तो व्यक्ति विश्रष पनपने लगते हैं, स्त्रा-भाविक गुण विशेष गुण कहलाने लगते हैं। ग्रगर लोगों को यह विश्वास हो जाए कि ग्रमुक व्यक्ति ईमानदार है तो वह इसँ देश का प्रधान मंत्री बन जाता है । आयद कल तक समाज में बदेखू इस कदर फैल जायेगी कि स्वह मंजन ग्रीर दातन करने वाला यादमी प्रधान मंत्री बन जायेगा महोदया, में इस बिल पर ऋाता है। आने वाले कल में विचारधाराग्रों से कमजोर राजनैतिक लोग समाज को जोडने का काम तो क्या कर पाएंगे, उनकी सोच होगी कि लोग जड़ें या न जड़ें कोई फई नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होगा, चन्द पुलिस ग्रकमरों ग्रीर ब्यूरोकेट को जोड़ना ग्रासान होगा। श्रवराधों की शरण से निकली हुई राज-नीति देश को क्या दिशा दे पाएगी, यह बिल इसका संकेत है। किल इस देश में पुलिस का राज होगा, ब्युरोक्नेट का राज होगः, राजनीतिक विचारधारा समाप्त हो जाएगी। दिल भीर दिमाग, इंसानियत के मृत्यों एवं बौद्धिक तकौं से महरूम विवेक शुन्य हो जाएंगे। माखिर यह देश कैसे चलेगा। पढ़े-लिखे ग्रधिकारियों से या पुलिस के डंडों से? महोदया, ग्रातंक-बाद ग्राज वास्तविकता है । जिदगी का एक कड़वा सच है। दुनियां के किसी कोने में झांक कर देखें, आर्तकशदी यतिविधियां कल से ग्राम कहीं ज्यादा नजर ग्राती हैं। तो क्या यह देश जो ऋषि-मृतियों, संतों, फकीरों की पवित्र भूमि रही है -(अमय की घंटी)

प्रैडन, मैं नाफी चाहता हूं प्राज मुझे अत देशों जए। अगर चाहेंगे तो इसके बाद में कभी बोलूंगा नहीं, वापिस चला जाऊंगा बहुत-बहुत धन्यवाद ।

ग्रातंकवाद ग्राज बास्तविकता है। जिंदगी का एक कड़वा सच है। दूनियां के किसी कोने में झांक कर देंखे, आतंक-वादी गतिविधियां कल से माज कहीं ज्यादा नजर म्राती हैं। तो क्या यह देश जो ऋषि-मूनियों, संतों-फकीरों की पवित्र भुमि रही है, को हत्यारों की सोच के हवाले कर दें, ग्रंपराधियों के हवाले कर दें ? इस देश ने बाल्मीकी को संत बनाया है। यह सच है कि जस्टिस ए० एन० मुल्ला ने पुलिस की तुलना डक्कैतों के गैंग में की थी। लेकिन फिर भी इस महान देश ने इनको श्रपना महाफिज समझा और इन भुहाफिजो ने ऐसे कानुनों का सहारा लेकर पंजाब की उस जांबाज धरती जहां पर चौडे सीने वाले नौजवानों से भरी उस धरती के गांवों के अंदर एक बार तो ऐसा कर दिया कि किसी घर में 16 सल से लेकर 20 साल तक कोई भी नौजवान नजर नहीं ग्राता था। मेरठ हो या बम्बई, ग्रान्ध्र प्रदेश हो या किसी कस्बे का छोटा सा स्थान, खाकी बरदी वाले मजल्म श्रीरतों का बलास्कार करने से नहीं चकते । भोलाभालः म्रादमी, भ्रमपढ् मीरत जिसका बच्चा दूध नहीं पीता तो कहती है कि जल्दी से दूध पी ले, पुलिस ग्रा जाएगी। इस देश का मामुखी भादमी जो बहुनायत में है, पुलिस के नाम से कांपता है। क्या अपने वाले कल में इस देश की नस्तों को भय और डर की तलवार के साए में जिदा रखेंगे ? एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय ब्रातंकवाद, अन्तर्राष्ट्रीय उपवाद, दूसरी तरफ माफिया टैरोश्जिम, माफिया उप्रवाद, तीसरी तरफ राजनैतिक उग्रवाद और इस सबके ऊपर इस बिल के जरिये से स्टेट टैरोरिज्म का खतरा । इन सारे टैरोरिज्म के खतरे को तलवारों से इस मुल्क के मौजवानों को क्या हम कायर नहीं बनायेंगे? शायद कल इस देश में फिर कोई भगत सिंह, बलवन्त फड़के, सुभाष चन्द्र बोस, जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, डा० लोहिया जैसे लीडर और स्त्राभिमानी व्यक्तित्व पैदा नहीं होंगे ? इस देश की गरिमा ने यही सिखाया है कि प्यार से जीओ और प्यार बांटो । जिस देश के बच्चे प्रधान मंत्री

की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे, उसी देश के बच्चे प्रधान मंत्री की कुर्ती पर बैटे हुये लोगों को चोर, बदमाश, बेईमान कहें। उसी देश के बच्चों का चाचा बेईमान, धोखेबाज, भ्रष्ट हो जाए। बच्वों के प्यारे चाचा को हत्यारा मत बनायो । ऐसे कानुनों को पनपने मत दीजिये । ग्रातंकवाद की सबसे बड़ी खाद है-बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी । उसके लिये कानुन बनाइये । जो बनाये हैं उससे भी बढ़े का दन बदायें। कोई टाड़ा, कोई मीसा, कोई एन.एस.ए., कोई कानून चराय-ए-शरीफ को झलसने और बाबरी मस्जित को ट्टने से, राधाबाई चाल को जलने से और बम्बई के बन विस्फोट को होने से नहीं रोक सका। अपर कोई चीत इन घटाओं को रोक सकती थी तो वह थी इस हिन्दुस्तान की धरती की धरोहर, प्रेम, भाईचारा जो कहीं गुम हो गया है और गुम होता जा रहा है।

महोदया, सारे देश के वृद्धिजीवियों, पत्रकारों, बच्चों, बढ़ों, नौजवानों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री के उन बक्तव्यों को याद करें, जिसमें उन्होंने सबसे कहा श्रीर सबने माना है कि टाडा जैसे कान्त का दुरुपयोग हुआ है। दुरु योग किसी पत्थर पर नहीं, सड़क पर नहीं, दीवारों पर नहीं हुआ, लकड़ी के कुंों पर नहीं हुआ, किसी कटी हुई शाख पर नहीं हुआ, म्रनर यह दुरुपयोग हुमा है तो इंसानों पर हुआ है। अयर यह दुरु यो हिपा है तो इंसानों पर हुआं है। पहले एक बार उन इंस.नों को राहत दे लें। पुलिस वालों **ग्रौर ब्यूरोक्टे**स की कमेटियां बनने के बजय कुछ दिल्याले इंसानों की कमेटियां बना कर उन जहमी दिलों ार मलहम लगाएं । बाबो, हम सब मिनकर अपनी भूलों का प्रायश्चित कर लें। उन गडलुमी उन बेगुनाहों को मुक्त करें, उनके दिलों से दुग्र एं लेकर प्यार की फिजा बनाएं जिससे मातंक की गोली, चहे अतंकव दी की बंदूक संनिकली हो, चाहे पुलिस तले की या सरकार की सोची-समझी हुई बंदूक से निकली हो, इस देश की एकता और ग्रखंडतः ऋौर धमं को छिन्न-भिन्न न कर सके । राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, ग्रखंडता सबसे ऊपर है । मेरे लिए भी, ग्रापके

लिए भी, हम सबके लिए भी लेकिन उससे भी ऊपर इस विशाल समाज की मानवीय गरिमा है जिसको अनदेखा न मैं कर सकता हूं, न ग्राप कर सकते हैं क्योंकि मानवीय प्रस्तित्व के बिना न तो समाज की और न राष्ट्र की कल्पना संभव है। एक समतःमूलक समाज की परिकल्पनः के फलस्बरूप निर्मित संविधान में कानुन की सत्ता सबसे ऊपर है और इस कानून का प्रथम दःबित्व है व्यक्ति की मःनवीय गरिमा को सुनिश्चित करना । इसलिए ऐसा कोई भी कानून जो व्यक्ति की गरिमा पर प्रहार करता हो या उसे बनाए रखने में सक्षम न हो तो उसे बन ए रखना या बनाना संविधान के प्रति बेईमानी है, संविधान निर्मातात्रों के प्रति ग्रनादर है । टाडा एक ऐसा कानुन या जो धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र के सभी सिद्धांतों, संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों के सभी मौलिक ग्रधिकारों, तमाम मानवीय मुल्यों, मर्यादाश्रों भीर सांस्कृतिक परम्पराध्रों को ताक पर रखकर एक दशक तक नग्न तांडव करता रहा। ग्राजादी के पहले से लेकर ग्राज तक राष्ट्र के संविधान के नाम पर जितने भी कन्न बने, चाहे वह मीसा हो, डी. ग्राई. ग्रार. हो, एन. एस. ए. हो या टाडा हो, सब ग्रालोचना के शिकार हुए र्कोर उनकी परिणति बुरी हुई । मीसः तो प्रथनी जननी कांग्रेस की सरकार को नियल गया, खा गया । टाडा के दूरपयोग को कुबल करने के बाद जिस तरह से ग्रानन-फानन में सरकार ने इस कानून को लाने का प्रावधान किया है, उससे उनकी नियत पर एक बार फिर प्रश्त-विस्त लग गया है। मेरी पूरे सदन के सामने हाथ जोड़ कर विनती है कि पार्टियां और सरकारें तो बनती-विगड़ती रहेंगी । हमें कल के लिए ग्रपने बच्चों के स्कृत ज ने के लिए कहीं ऐसान हो कि उन बच्चों को खकी वर्दी का सहारा लेना पड़े बल्कि उन्हें भ्रपनी मां की ममता भरी अंगुली भौर अपने बाप की नेकियों का सहारा लेकर जाना पड़े। इसके लिए जैस<sup>ः</sup> कि ग्र**ं**ग सब के दिलों में है कि यह बिल प्रापंकवाद के नाम पर श्रातंक फैलाने का अागाज़ है । इसके खिल।फ एकमत हो जाएं। एक बार फिर कर्हूगा कि टाडा से पीड़ित बेगुनःहों को राहत दें भीर फिर उसके बाद इस देश

not Put to the *vote* 350 of the House for adoption

### [श्री राज बदबर]

के साथ बीह और इस धरती के साथ गद्दारी करने वालों को, इस देश के धर्मी कवीर, नानक और तुकाराम के विचारों, रिव शंकर की सितार, अल्ला रखा के तबले, बड़े गुलाम अली और भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व के स्वरों, विस्मिल्ला खां की शहनाई, बेगम अख्तर की गजलों बिरजू महाराज की थिरकन, मधुबाला की खूबसूरती और निगस के अभिनय का कोई अपमान न कर सके। ऐसा कानून बनाएं जिससे अाने वाल दिनों में कोई भी मैतान इस देश की मिट्टी का, इस धरती मां का अपमान न कर सके, ऐसा कानून बनाएं, यही मेरी विनती है आप लोगों से। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shri Ghulam Nabi Abad. (Interruptions)

SHRI S. S. SURJEWALA (Haryana): Madam, I am on a point of order. Actually: when my friend was speaking, I did not think it proper to interrupt him. But I would certainly like to request you to kindly give a ruling. My point of order is that under the Rules of Procedure of this House, no Member can read his speech verbatim. He can only refer to certain notes which he has. (Interruptions) ....

SHRI V. GOPALSAMY; He was only referring... (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Surjewalaji, there is no point of order. Shri Ghulam Nabi Azad, please. (Inter. *ruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu); It is a different thing that his whole speech was irrelevant. (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Madam, we welcome Shri Azad speaking. But I would like to know whether he is Intervening in the debate as a Minister, or he is speaking as a Member.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): He is speaking as a Member of the House.

SHRI E. BALANANDAN; Both capacities.

SHRI MD. SALIM; This is an extraordinary situation.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD). This is not extraordinary. Ministers have spoken earlier. (*Interruptions*) Apart from 'being a Minister, I am also a Member of this House.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal); please go ahead.

श्री गुलाम तबी आधाद: मैंडम, कल दो सदस्यों ने यहां पर चर्चा की श्रीर विशेष रूप से मेरा नाम लेकर बात कही। मुखमा स्वराज जी ने श्रीर जेठमलानी जी ने, उन्होंने कोई बुरी बात नहीं कही, बिल्क दोनों ने बहुत ही श्रच्छा भाषण दिया, श्रगर मैं ऐसा कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज उन्होंने कही थी कि मंत्रिमंडल में रहकर मैंने कहा था— उनके श्रनुसार कि मैं सरकार को गिरा द्या। शायद यह किसी दूसरे ने कहा हो लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं सरकार को गिराऊंगा। मैंने हमेशा कहा कि मैं सरकार से इस्तीफा दे दंगा।

भी सक्खोराम अध्रवाल (मध्य प्रदेश) : दूसरे मंत्री ने कहा ।

श्रा गुलाम नबी आज्ञाह : मैं प्रपती बात कर रहा हूं । यह मैं क्लियर बताना बाहता हूं कि मैंने कथी यह नहीं कहा कि मैं सरकार को गिराङगा । मैंने कहा कि मैं सरकार से निकल जाङगा । दोनों में बहुत प्रतर है, सरकार से प्रपते ग्राप को निकालना और सरकार को गिराना, यह टाङा होने श्रीर टाडा न होने के बराबर है ।

udoption

जहां तक टाडा कः सवाल है मैं इस हाउस के सभी सदस्यों के साथ हूं, चाहे वे विपक्ष के साथ हों या कांग्रेस पार्टी के साथी हों, मेरे ख्याल में सभी इस कामून के दुरुपयोग के खिलाफ हैं। शब्द टाडा के खिलाफ कोई नहीं है, न सरकार है, न अपोजीशन के सदस्य हैं और न रूलिय पार्टी के सदस्य हैं। सब इसके दुरुपयोग के खिलाफ हैं। इसका जो दुरुपयोग हुआ, उसकी वजह से सरकार याज इस बात पर मजबूर हुई कि इस कानून को आज खत्म किया जाए। ... (स्थवधान)... प्लीज। अरपको मैंने कुछ कहा नहीं। मैं दो दिन से आपको सन रहा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : अब तो टःडा नहीं है, स्रब तो बोलने दीजिए ।

श्री गलाम नवी आजाह: मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता है, ग्राप तो नया शायद हमःशे पःर्टी के भी बहुत से सदस्य नहीं जानते कि 1993 में वर्किंग कमेटी में पहली दफा इस मसले को मैंने उटाया था । प्रधान मंत्री जी को मने म्रांकडे दिए थे । मेरे साथी धवन जी यहां बैठे हुए हैं, 1993 में मैंने कहा था। मैं सुन रहा हूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्री जी इसलिए इस्तीफा ये रहे हैं क्योंकि इलेक्शन ग्राने वःले हैं । लेकिन ं1993 में, ब्राज से हाई साल पहले इसेक्शन की कोई बात नहीं थी और उस वक्त ऐसा सोचकर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था । जब प्रधान मंत्री जी का मैंने इस ग्रोर ध्यान दिलावा--उनको इस लिए देता हूं बधाई कि उन्होंने कहा कि विकिंग कमेटी की मीटिंग शाम को खत्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट में क्या हालत है । भाम तक, वाकग कमेटी की मीटिंग खत्म होने से पहले कुछ राज्यों से उन्होंने आंकड़े मंगाए ब्रीर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ बैठिए, हम सारे राज्यों को लिखेंगे, जहां-जहां इसकः दृख्पयोग हो रहा है और प्रधान मंत्री जी ने 1993 में यह प्रयास किया । उन्होंने मुख्य मंत्रियों से बात की भ्रीर उनकी लिखा, उनसे टेलीफोन पर बात की कि इसकी जांच पड़ताल करवाई जाय कि क्या इसका दुरूपयोग हो रहा है। श्राज हम देखते हैं श्रीर बहुत सारे हमारे साथियों ने यहां बताया कि 70571 केसेज थे श्रीर इनमें सं 60 हजार छूट गए हैं श्रीर जेलों में सिर्फ 5000 लोग हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया श्रीर प्रधान मंत्री ने इस पर रीऐक्ट किया श्रीर 1993 से लेकर श्राज तक 70.50 हजार की संख्या 5 हजार तक पहुंच गयी है। तो यह प्रधास हम लोगों ने किया। जो हमारे सं थी हैं, उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Saver Iy thousand is the cumulative figure It is not that it was 70,000 earlie and that it came down to 50,00 *{Interruptions}....* 

That is not the case. I am makin a statistical point. It is the cumula tive figure for the entire period.

SHRI GHULAM NABI ABAD: am just saying that it has not gon beyond that at any point in time.

DR. BIPLAB DASGUPTA: It is cumulative figure from the beginin until now.

SHRI GHULAM NABI AZAD That was the maximum number a any particular time.

DR. BIPLAB DASGUPTA: No, n it was not the maximum number. : is the total until now.

SHRI GHULAM NABI AZAD Please. I will speak. You can cot rect me. . . (*Interruptions*).

Here is the Home Minister. Let leave that to the Home Minister. He wi correct it. (*Interruptions*)....

DR. BIPLAB DASGUPTA; I a making a statistical point. I am no making a political point.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): Okay, your point is over now.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am just saying that the Home Minister will correct me. But, I came to know at that time that the number was plus 70,000. Efforts were made by the Prime Minister. No less a person than the Prime Minister was in touch with various Chief Ministers, and the outcome of that is that the number has come down to 5,000.

लेकिन ज्यों ज्यों मैं कई राज्यों में 4 P.M. घुमता गया लोगों ने मझे पीडा, ग्रीर उनकी उनका दर्द, देख मेरा उनका द्ख कर मन क्रीर भी भरता नया । यही कारण है कि ग्रप्रैल, 1994 में 13 महीने पहले जब दिल्ली में झाल इंडिया उर्द् कान्फेंस हो रही थी 23-24 ग्रप्रैल, को, उसमें हमारे साथी राज बब्बर भी थे ग्रीर बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथी थे उसमें मैंने पहली दफा अपने इस्तीफें की बात कही थी। यह कोई इलेक्शन से जुड़ी हुई बात नहां थी जिसको मैंने बार-बार कहा। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हं कि यह कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा हूं, इस बात के लिए कह रह था, जितना हम देख रहेथे, मैं इस बात की भी क्लीयर करना चाहता है कि मैंने कभी इस बात की श्रल्पसंख्यकों से नहां जोड़ा। मैने हर वक्त दो साल लेकर आज तंक हर मीटिंग में, हर संभा में, हर प्रेस कान्फेंस में, हर पब्लिक मीटिंग में कहा है कि जहां भ्रत्प-संख्यक इसमें वन्द हुए है वहां बहुसंख्यक लोगों को भी इसमें बंद किया गया है। झटे तरीके से बंद किया गया है। (व्यव-धान) नम्बर में नहीं देना चाहता क्योंकि प्रोगोर्शनेटली फिर यह बराबर हो जाता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है लेकिन सवाल नम्बर का नहीं है कि कितने ब्रह्मसंख्यक थे श्रीर कितने बहसंख्यक थे, सवाल यह है कि जो इन्नोसेंट लोग थे, इन्नोसेंट लोग कीन होते हैं ? इसका इस्ते-मालं या तो पुलिस के जरिए हुआ है या राजनीतिक नेताओं ने अपने विरोधियों को

कमजोर करने के लिए या बंदनाम करने के लिए या उनसे बदले की भावना से इस्तेमाल किया है चाहे वह मेरा दल हो या कोई तीसरा दल हो। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहला हूं चाहे हमारे दल की सरकारें हो या किसी दूसरी अयो-जीशन पाटीं की सरकारें हो। इसलिए हमारा जो रोष है वह टाडा शब्द के साथ नहीं है बल्कि शब्द जो दुरूपयांग हुआ है क्योंकि यह टाडा बना था टेरिंग्ट्स के लिए टाडा बना था जो हिन्दुस्तान के खिलाफ हिन्दुर-तान की एकता और अखण्डला और स्वतंत्रता के लिए खतरा बने. उनके लिए टाडा बना था। यह राजनीतिक स्कोर सेटल करने केलिए नहीं बना था। पुलिस नेरिश्वत खाने के लिए पुलिस ने इसको धंधा बनाया था कि एक स्नाख देदों. दो लाख रुपया दे दो नहीं तो टाडा में अन्दर चले जाग्रोगे, इसके लिए टाडा नहीं बना था। आज हम इस बात का क्लीयर गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जहां तक देश को एकेना और ग्रंखण्डता का सवाल है, राष्ट्र की एक्ता ग्रीर ग्रखण्डता को जो भी खतारा पहुंचाने की कोशिश करेगा चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो उसके लिए सब से सख्त दहा तो क्या 100 टाडा के बशवर कानुन बनना चाहिए। मेरे ख्याल में चाहे इस तत्फ के सदस्य हो या उस तरफ के संदस्य हों, इसमें किसी को रोज नहीं होगा। मैंने भ्राज दक हिन्द्र-तान में ऐसा आदमी नहीं देखा होगा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में जो मझ मे इस तरह की शिकायत करते आएं हैं, जिन्होंने यह कहा हो कि इसको देशद्रोहियों के खिलाफ मत करिए। देशद्रोहियों के खिलाफं तो इससे भी जबरदस्त कानून होना चाहिए कानुन तो क्या बेल्विः शृट एक्ट साइट होना चाहिए। न्योंकि बंद करते हैं तो फिर रेनसम मांगते है और भी मुसीबत करते हैं और लोगों को मारते हैं। इसलिए हमारे जेहन में क्लीयर होना च।हिए कि इसका दुरूपयोग वर्भा नहीं होता चाहिए। मैं गृहमंत्री जी स निवेदन करूंगा कि जो कान्त इस बदले में लाएंगे, उसके लिए भी रोज्य सरकारों को बतानी चाहिए कि यह सि**र्फ टेर**रिस्ट्स के लिए होना चाहिए श्रौर एंटी इण्डिया फोर्सेज जो राष्ट्र की एक्स

मीर श्रखण्डता के लिए खतरा बने उनके खिलाफ इसका उपयोग होना चाहिए। गरीब लोगों के लिए इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए।

DR. BIPLAB DASGUPTA; Ma-dam, it is just a statistical point.

SHRI GHULAM NABI AZAD: You can ask the Minister.

DR. BIPLAB DASGUPTA; Madam, it is just a small point. The impression which has been created by the Minister's speech is that the arrests under TADA had reached a peak of 70,000 and then it came down to 5,000. The point is that 70,000 is for the entire period up to December, 1994. The point is this the figure is from the beginning of TADA, until December, 1994. That is the period. In total, 77,571 arrests were made. Out of that... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE)-. Dr. Biplabji, I have not given you permission. Please sit down... (Interruptions)... Will you please sit down now? Shri Jagmohanji.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Thank you, Madam.

I have been sitting throughout this debate and I have heard my colleagues very attentively. But I must say that very few Members have touched the basic issues involved. What is the foundational plank of this house of terror? Why is this terrorism taking place? It is true that there are economic and social imbalances in our society and they contribute to terrorism. But there is another reason for it and it is equally important. The basic reason is the political and the social ethos of the country. Misuse of TADA Is not misuse of law as a special case. This is not the only law which *fe* being misused, Many other

being misused. It is be laws are cause of the political sense. Only re cently we have had a case of Har yana police officials who have been the sentenced by Supreme Court. They were not misusing TADA. were misusing the other laws, bad name is being given to the law it is being misused. Yes, if it has been misused, then, take action against people those who have misused it. Don't throw away the TADA lock, stock and barrel because it is very much nee-ded. I have heard emotional speeches here. But let us under. stand what is the fate of the person whose daughter is kidnapped, what is the fate of the person whose child is kidnapped, what is the fate of the persons whose parents are killed before their eyes

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, to deal with kidnapping, the hon. Member wants TADA. It is a good thing.

SHRI JAGMOHAN: Please let me finish because you have all spoken. It depends on which side of the fence you are. Only then you will realise what it is. Madam. Shri Ghulam Nabi Azadji has said very correctly what the sufferings of the people are because of this. They say that they want freedom. They say that they want the rule of law. It is sely because of this that TADA is needed, to hring about that rule of law. It is heeded because freedom Everybody<sup>1</sup> is now is required. terrorstricken in this country. Even a child who goes to a school is.not sure whether he will come back from the school to the house without any harm. What are we savin?? Yesterday it has been said that TADA has not been able to control ter. rorism and therefore; it should fee scrapped. But is it the fault of TADA or is it the fault of the ineffective implementation of TADA? It hias been ineffective because the Government doesn't have the will to implement it. That is why these problems have arisen in this country.

I wiU give you one instance. Take the case of Jammu and Kashmir. The Government has not been able to convict even the kidnapper of the daughter of the then Home Minister. The Government has not been able to take any action against the person who has kidnapped and killed the Station Director of the All India Radio or Doordarshan. The Govern, ment has not been able to take any action against the murderers of the four IAS Officers. They were all arrested but the Government has not been able to prosecute them even though five years have passed. The Government has not been able to take any action against the murderers of Maulvi Mirvawaiz Farooq, although they have been arrested. so many other people have been murdered. The Minister can tell me whether the Government has been able to convict anybody even in a single case. The Government has not been able to convict anybody because they don't have the will to implement it. On the other hand you take the case of officers. In reply to a question of mine, the Minister has stated that 160 officers have been dismissed or prosecuted because of alleged excesses. There the Government has been able to punish them. The Government has been able to dismiss them. The Government has been able to jail them because the Government has the will to do it. The Government has dealt with them under an ordinary law. The Government did it Departmental rules Now. Government has got this TADA and they have not been able to convict even a single person. It it the fault of the law or is it the lack of will on the part of the Government to implement it or is it due to lack of political honesty? It is the lack of honesty. The rule, the law, the Constitution only gives you the framework . They give you a body But what keeps the blood purified is your own conscience. If ytra have got an awakened conscience in the nation, then your laws will be im-plemented honestly and impartially.

We have made the police a handmaid of the ruling ruling party whosoever becomes the Party. (Time-bell Madam, rings). am telling you concrete facts. Please give me a little more time. I will beat about the bush, but not give you concrete facts. That, infact, is my whole difficulty with this de bate Everybody has just gone vague and general. Nobody has quo the precise points. Many peoplt have said that there has been a misuse of the T.ADA. Tell me about a single judgement of the Supreme Court or a High Court or any Court where strictures have passed that the TADA has been mis Ram Jethmalani was used. Mr. elo quent. He made so many points. All those points were made in the reme Court and the Supreme Court repelled those points. I find only fault with the statement made by Home Minister. He was right defended the TADA. But when he wrong said he was when he it had been that misused. Why did he take the blame on himself or put the blame on the TADA? He should have put the b'ame on those who misused it. He should have exposed them. He should have told the nation that the Gujarat Government and the Maharashtra Government had done BO. Why did foe give a bad name to the TADA? You should defend it on. the ground of reality. This is the reality. Now, we are sitting in this Houes today. I can tell you, if there had been no TADA, I wonder whether we would have been able to hold these meetings here. And what would have been the impact of terrorists? You do not know. We now see Punjab, How has it happened? All the courts had become dysfunctional. We are talking about the rule of law. Now, it is because you have taken

action in Punjab that the courts have come back, the rule of law has come back. Even the courts are- now asking for action against the police. Where were they before? They were not able to take any action. The point is, at one stage or the other, you have to do it.

Τt is also a fault of our system that created a situation when TADA took birth and the the ter rorist took birth. It is also be the cause οf ptermissiveness and the society. softness of The society got disrespect for the It attached to its laws; is is not superficially attached iust to its laws; it does not implement its laws; respect its laws. is the fault. If you implemented the laws effectively. there would been TADA. If vou have no had deterrent in your action, you would have had no problems at all and you could have contained much earlier then now. it increased because of this.

The other basic point is this. Madam. you have already rung the vou I will give only one suggestion which I have. This wiU help in solving the problem in a prac We tical way. must understand v/hat contemporary terrorism is that anybody is not just like that comes and commits a crime. yourselves, have always been, say that Pakistan is ing sponsoring it. sponsoring militants the are it. is religious funа damentalism involved it. in There are so many techniques that are availafele. So many sophisticated weapons are involved in it. And terrorism is a war by an invisible army. It has no frontiers. It has no clear points where you can take action. So, you have to have a different techniciue to follow for these things. You have to have stringent laws to deal with them. You see millions of arms and millions of tonnes of ammunition come in. financing them? How will you take action if you say, "We will apply this law only in this region and no further"? It is a network, an international network. How

can you control it by restricting to a particular area? It is impos; ble. The consiparcy spreads a over the Union. And it is, ther fore, necessary for you to have th. law. I can say that you can real serve your own purpose by effectiv Iy implementing this law. If it is eff tively implemented you will requti it only for a shorter period, a muc shorter period, you will not proloi the agony of the people, you will n prolong the agony of the Kashmir or the Punjabis who are living; fear.

Madam, I have so many other points to say. But I value disciplii more than anything else and so, will not take much time. In the. end, I will just make a few suggestions.

Sir, make the law a pointed lar Just take a narrow base and defii it in a pointed way and then tal strong action on that point. Mal the implementation machinery eff ctive. Even if you had convict fourfive people, I think; the prol lem would have been over long at but you have not heen able to do s Then divide the regions into vario: areas. scheduled and non.scheduli areas, scheduled where terrorism at its peak just like in Kashm Assam and so on. For the other areas terrorism is not strong, nonscheduled areas, make provision for liberal bails and so o! And if you think that a young act or any other person has been wron Iy involved, although he did sor defalcation, he did some mistake, 1 is not a terrorist in any way, the use your pardon, use your revisii in one or two cases. What a these powers meant for unless yc want to use them in the interest justice? Use them in the interest justice, use them in the interest fairplay if you think that injusti haa been done by too rigid an app cation of law in this case. What the harm in doing so? Thereto there are available prov ded we are remedies willing to follow tfcer

not put to the vote 362 of the House for adoption

And, lastly, much has been said American plane TW They mocracy said. said, case is a disgrace to the word 'demo cracy'. And when you know that they threatened, they went and bombed Libya, under what law did they bomb Libya? They come and tell us of human rights, but what did they do themselves? They say, it is savagery, it is primitivism! ..... (Interruptions)....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE); Jagmdhanji, will you please wind up?

SHRI JAGMOHAN; I will, Madam. So, I have been only saying that these are the points which I have suggested for this. And one more point I would like to make is about the prosecution of police officers. The fact is that hardly any police officer takes action unless it is approved by the highest political authority in these matters. Why do you put the blame on the police officers? My own experience is that 1 you leave the police officers defenceless, what will happen is that the dishonest officers wiU prosper; they will just go for fifty-fifty with the people. The honest man who wants to take action, will invite all he complaints: he will be in the dock: he wll be going to the courts every now and then. You have to protection to these give officers; otherwise, the result would be counter-productive. of course, when :he Government is convinced that ;his officer has done a wrong, it can dways give the sanction, but do not jive blanket powers., Use 197 Cr. PC always; otherwise whatever lit-le remains of the administration will also be destroyed and if you lestroy the administration no law will be implemented and no freedom dll be there; no democracy will be here thank you.

थीं मोहम्मद सलीम : मेडम्, कल से इस about democracy; rule of law and all 'विधेयक के ऊपर चर्चा चल रही है। was hijacked हुमार लमाम विद्वान साथी इसके अलगfrom Athens, what this home of de अलग ५ हलुओं के दारे में चर्चा कर चुके "Ter. है भीर अब यह चर्चा प्राखिरी दार में हैं। rorists have no rights at all." To एउ जिला से संबंधित जितनी भी प्रायत्यक use the word 'democracy' in their दातें हैं, वह किसी न-किसी सदस्य दारा ग्रापके और सदन के सामने रखी गयी है।

## **अपसमापित पीठासीन हुई** ।

मेंडम्, प्राज 23मई, 1995 के यह जो "टाडा" कानून है, "बदनाम जमाना" यह बत्म होने याला है। मैडम्, हमने यह कानून बनाया या टैरेरिजम का रोकने के लिए, लेकिन यह कानून पूरे मुल्क को टैरेराइय कर **एहा है और जो सामान्य विधि है, जो** किमिनल लां है, उउमें "टाडा" इनवेड कर रहा है। यह कानून खुद जिस तरह से बदनाम हुआ जिसकी चर्चा सिर्फ दो दिन से नहीं बरन् हम कई दर्षों से यहां कर रहें हैं, होम मिनिस्टर साहब ने खुद उनकी जबानी पासियामेंट में कहा है कि यह कानून भिस-यूज हुमा है, मुख्य मंत्रियों ने कहा है श्रीर सभी पक्षों के लोगों ने बार-बार "टाडा" के खिलाफ कहा है, लेकिन म्राज गाम बदलकर, चेहरा बदलकर, दूसरे नकाब के जरिए, हमारी जो सामान्य विधि है किमिनल प्रोसीजन कोड, उत्तमें इसे लाया जा रहा है, इसलिए मैं इस विश्वेयक का विरोध करता हं।

मैंडम्, यह एक क्लासिक एकजाम्पल है कि हमारा यह सरकार किस तरह से सोचने में देर लगाती है, समय पर निर्णय नहीं लेपाती और अगर होती भी है तो इनकी इतनी "कनफ्यूज स्टेट ग्रॉफ माइंड" होती है कि इ किस तरह का कदम उठाएंगे, यह उन्हें माजूब ही नहीं होता और हभारे मुल्क में कोई भी समस्या दरपेश हो हुकूमन के सामाने, यह उदाहरण है कि हमारे प्रधान मही हो या गृह मंत्री हो, वह फैसला लेने में हिसकिचाते हैं, डरते हैं घीर इनके कदम डगमगा जाते हैं। मेडम्, इन्होंने कहा था कि "टाडा" को हम रिपील कर देंगे। टाडा को खतम कर देंगे, फिर टाडा को हम रिप्लेस करेंगे, टाडा के ग्रन्दर जो ऐसे कुछ विधान हैं जिससे मिसपूस होता है पूर्व रोकने के छने हम एक संशोधित करेंगे ग्रीर ग्राज ग्राप कह
रहे हैं कि हम किमिनल ला में ग्रमेंडमेंट
करेंगे, संशोधन करेंगे । वैसे किमिनल
ला में कई बार नंशोधन हुये हैं, लेकिन
ग्राज का यह जो संशोधन है, एक नया
कानून स्टेटुटरी बुक में डाला जा रहा
है । यह कोई ग्राप एक सक्त्रन, दो
सेवजन इक्षर जधर से लाकर उसके विधान
में संशोधन नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे
जो हामाल्य कानून हैं उसे ग्राप एक
काला वेहरा दे रहे हैं, एक लीपापोती
कर रहे हैं, ब्लेक्स पेंट लगा रहे हैं, जो
हमारे मुल्क की एक सामान्य विधि है
इस पर ।

मैडम, उनकी भागुमेंट, उनका तर्क यह होता है कि टेरास्जिम की रोंकने के तिए हमारे मूल्क के जो कानून हैं, वह संफिसिएट नहीं है। आर्डिनरी जो ला है, वह संकिसिएट नहीं है और इसलिये जी है हमें कड़े से कड़ा कानून चाहिये। अभी जगमोहन जी भी बील रहे थे। ऐसे तर्क हमें टाडा तक ले बाये। टाडा के दस साल इस्तेमाल के बाद हम कहा पहुंचे ? मैडम, आज होम मिनिस्टर साहब टाडा बेच रहे हैं। सड़क के किनारे को तेल बेचता है सिर में लगाने बाला तो वह भी यही कहता है कि लगाकर देखी, इसका फायदा क्या है। त्रापने दस माल पहले टाडा लगाया श्रीर ब्राप खुद कहते हैं कि टेरारिज्य बढ़ रहा है। पहुले दो साल के लिये आपने लगामा था, इस समय आपने सदन की बह बहा था कि ग्रापका टारगेट दो साल के ग्रन्दर टेरारिज्म को रोकने का है। ग्रब 1985 से ऋाज तक दस साल हो गवे और प्राज प्राप कहते हैं कि यह सिर्फ दो साल वाला कानून नहीं, परमानेंट स्केट्टरी बुक में डालना पड़ेगा ग्रौर कोई रेस्ट्रेक्टेड एरिया या डिस्टर्ब एरिया के लिये महीं होना बल्कि पूरे मुल्क के लिये ६से करना पड़ेगा । ग्राप बतार्ये, ग्रापके रह कानून से फायदा मिला या नुकसान इसा ? ग्रापने टाडा के इस्तेमान से क्या महसूस किवा?

मैडम, ग्रभी राज बब्बर जी कह रहे थे, दूसरे साथियों ने भी कहा और कल

हमारे विद्वान जेठमलानी जी कह गये कि किस तरह से टेरारिज्म बढ़ता क्यों है? धगर मह नहीं समझेंगे तो आपके इपतर के लोग ग्राफिस के चेम्बर में बठे हुये सिर्फ सेक्शन डालेंगे तो सेक्शन से कैसे हुम रोक पायेंगे ? म्रापने देखा, कुछ सेंसलेस वायलेंस हमारे मुल्क में हुये। हमने 1985 में जब टाडा बनाया था तो हमने यह देखा कि पंजाब के टेरारिस्ट पंजाब स्टेट से बाहर निकल कर श्राये भौर ट्रांजिस्टर वस दिल्ली में, राजस्थान में, यू.पी. में, बिहार में देखने सूनने को मिले शौर सब जगह, डी.टी.सी. की बस में, दूसरी जगहों पर लिखा गय। कि किसी भी लावारिस सामान को कोई हाय न लगाये, ग्रपनी सीट पर झांककर बैठे। एक ऐसी स्थिति बनीकी आपन यह 1985 में, एक लास कक्त में यह टाडा बनाया था शौर उस दक्त भी हमारी पार्टी की ओर से कहा गया था कि इससे ऐसे प्रावधान हैं, जिसके कारण इसका मिसयुज हो सकता है और हुआ। ग्राज ग्रीप **उसका पूरे मुल्क में विस्तार** करना चाह सहे हैं।

मैडम, जो सेंसलेस वायलेंस है उसे माप अगर रोकना चाहते हैं तो उसके लिये मापके पास कड़े कानून हों, उससे ज्याद जरूरी यह है कि आप यह स्पष्ट करें कि आपका दिमाग कितना साफ है, आपकी पोलिटिकल विल कितनी पाक है और आप किस तरह से निणंय लेते हैं? यह भी जानना जरूरी है कि आप घुटने टेक देरे हैं चेलेंज के सामने या आपके घुटने कांच्याते हैं या स्ट्रेट रहकर, घुटने में प्लास्टा लगाकर आप खड़े रह सकते हैं। (समर की घंटी)....

मंखम, दो चार मिनट का समय में आपसे मागूंगा । कई दिनों से हम लोग महं बात कहना चाह रहे हैं, आज तो यह कानून भी ले आये हैं और इसके बाद चच करनी पड़ेगी क्योंकि दो चार साल तो आप पालियामेंट भी नहीं आयेंगे, परमानेंट उसक कानूम बनाये दे रहे हैं ।

मैडम, क्या इनकी पोलिटिकल विक ठीक है, टेरारिज्म को हटाना चाहते हैं जो टेरारिस्ट हैं उनको सजा देना तय है ? मैं बताना चाहूंगा, आपको हैस्स होगी इसी माननीय सदन में हमारी एक, माननीया सदस्या हैं इसी सदन की, उनके हतकेंड कः करल किया गया था, टेरारिस्टों ने मारा था, वह विश्वत्रा इस सदन में मीजद हैं. श्रक्षम के टेरारिस्ट ने मारा था' ग्रापने विधवा को टिकट देकर यहां एम.पी. बना दिया, लेकिन जो टेरारिस्ट पकड़े गये, टाडा के अन्दर पकड़े गए उन्हें एक साल के ब्रन्दर मापते उसे छोड़ दिया। केस विदड़ा कर लिया। ग्राप देरेरिस्ट को पकड़ना चाहते हैं ? जो इनोसेंट लोग हैं, उनको ग्राप बरसों जैस के अन्दर सड़ा रहे हैं, ग्रौर फिर आप यहां भ्राकर कहते हैं कि हमें कानून चाहिये, सख्ती से पेश भ्राना पड़ेगा? भाष जो टेरेरिस्ट हैं, उनको नही पकड़ना चाहते । ग्राज ज। सही मायनों में गलती कर रहा है, उनेशो सजा नहां देना चाहते । श्रापकी सरकार हो, ब्यूरोकेसी हो, पुलिस हो, जो इनोसेंट लोग हैं, ७नको वे डराना चाहते हैं, खौक में लाना चाहते हैं । एक ऐसे माहील बनाना चाहते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा ड्रेक्-नियत लाज हो ग्रीर लोगों में खीफ पैदा हो और उस खौफ में टेरेिज्य पलता है, बढ़ता है। चाहे टेरेरिस्ट हों, चाहे ग्राप हो ग्राप एक खौफ का माहौल बना रहे हैं, इस कानून के जरिये ग्राप उस खत्म नहीं करगें। मैं उस बात में नहां जाऊंगा, कल कहा गया कि किस तरह से टेरेरिज्म होते हैं, वह कानू । कः नकारते हैं तब वह टेरेरिस्ट बनते हैं और उनको ग्राप कानून बना कर रोकना चाहते हैं। ग्राप कानून बना कर इस रहे हैं तो जो ला एबाइडिंग सिटीजन है उनको डरारहंहैं।जो कानून से डरत। है कि यह काम करना है **यह न**हीं करना है और उसके धाप ग्रीर डरा रहे हैं । मैडम, हमारे लीगल सिस्ध्म में जो डेमोक्रेटिक एलीमेंट हैं, भ्राज के बाद यह कानुन ग्रगर पास होगा तो वह डेमोक्रांटक एलीमेंटस सरम हा जार्रेगा लीगल सिस्टम में, फैथ नहां रहेगा नौजवानों का । जो डिस्कांटेंट उनके ग्रन्दर हैं, उस रास्ते पर धकेल रहे हैं, उनको कि लीगल सिस्टम के बारे में उनके मन में श्रगर थोड़ी-बहुत भी कुछ ग्रास्था होगी, वह भी खत्म हो जायेनी । धाप उप माच्या को खस्म मत कीजिये, भ्राप उन्हे टरेरिज्म के रास्ते पर मत धकेलिये। भ्रापको पोलिटिकल विल देखना पडेगा । सोशियल पोलि-टिकल इकनामिक सिचएशन में ऐसी **हालत पैरा होती है, जो बाहर से मदद** लेकर के वायलेंस कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनसे आप कितनी सक्ती से पेश झाथेंगे, वह तो हम देखे चुके हैं । लेकिन जो डिस्कांटेट पैदा होता है और उससे जो एक्सदिमिज्म पैदा होता है, उसका ग्रगर ग्रापको मुकाबला करना है तो भ्रापको पोलिटिकल विल चाहिये। **आ**प कश्मीर में क्या कर रहे हैं? पैकेज के बारे में सोच रहे हैं। चुनाव से पहले बादा करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ब्राज भी ब्रगर पुलिस याएडमिनि~ स्ट्रेशन के जरिये ग्राप पंजाब में शांति से श्राये हैं तो ग्राप इस भ्रम में मत बैठे रहिये कि पंजाब का मसलाहल हो गया है। जो रूट काज हैं, जो सोग्रधिल, पोलि-टिकल, इकनाभिकल जो रूटस हैं, वे श्राज भी मौज्द हैं श्रौर आज भी कोई नीजवानों को यसत जगह पर भड़काने के लिये इस्तेमाल कर सकता है। कश्मीर के बारे में भी वही बात है। श्राप कोई ऐसा कदम नह उठा रहे जिससे भापकी पोलिटिकल विल या इंट-रेस्टिका मुजाहरा हो। भ्राप सिर्के किस तरह से हम श्रीजार ले आयेंगे, कितने ताकतवर, कितने मीटर से गोली चलाई जायेगी, कितने दिन तक उनको बन्द रखा जायेगा, पुलिस के हाथ में कितना अस्त-यार होगा, यह दिखाकर क्या ग्राप टेरेरिज्स को रोक पायेगे, टेरेस्स्ट एक्टिविटीज को रोक पायने ? बंगाल में हमारा उदाहरण है, मैं बार-बार यह कहता हूं कि वहां नेक्सेलाइटस ये, एक्स्ट्रीमिस्ट के रास्ते पर गये थे श्रीर उसके बाद बंगाल में जब हमारी गवर्नमेंट झाई 1970 में तो हमने पहला फैसला यह लिया, उस समय मीसा था बाद में श्राप एन.एस ए. बनाए कि हम यह काला कानून इस्तेमाल नहीं करेगें और हमने न्द्री किया । आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश में किया, बांध्र प्रदेश में किया, महाराष्ट्र **में किया: करते भाये और बाज हुन** 

सब जगह पर एक्स्ट्रीमिस्टस बहे थीर बगाल मे यह घटा है। क्यों कि हमने **कोलि**टिकल जो रूट काज है, उनसे हमने एडजस्ट करने की कोशिश की है । जा बहके हुये नौजवान हैं, उन्हें वाधिस लाने की की मिश की है। ग्राप कश्मीर को देखते हैं, नार्थ-ईस्ट में आप सिलिट्री भेज रहे हैं, जगमोहन जी के मजबिरे में। जैसे कंपभीर पर वह फार्मुला देते हैं, वैसे नार्थ-ईस्ट में रोजाना नागा-लैंड, मिजोरम, मणिपुर, हरेक स्टेट में ग्राय फोर्स भेज रह हैं, श्रीआर भेज रहे हैं। बाला कानून भेज रहे हैं लेकित ग्राप ग्राजादी के 47 साल बाद भी न तो बहां के वीजवानों को हवारे साथ जोड़ पांचे हैं और न वहां से टेरेरिज्म के। खत्म कर पार्ये हैं। दार्जिलिंग में, विदेश से मदद लेकर, ग्रापकी दिल्ली में बैठी हुई सरकार से मदद लेकर दार्जिलिंग में एक्स्ट्रीमिस्ट के रास्ते पर वहां के कुछ नीजवान गये थे और हमने वहां पर पोलिटिकल बैटल लड़ा । ग्राज दार्जिलग में पीस तो है, शांति तो है, जो मुल्क को तोड़ने वाली ताकते थी, उनको हमने खत्म किया । दाजिलिंग और कश्मीर का मामला एक जैसा नहीं था। (समय की षंटी) एक जैसा नहीं है, लेकिन एक ही दक्त पर शुरू हुआ या लेकिन आज कश्मीर का मामला कहां से कहां तक पहुंचा हुमा है। ऋष सिर्फलाठी डंडा और कानुत के जरिये अगर हक्षमत चलाने की कोशिश करेंगे तो खतरनाक जगह पर म्राप जा रहे हैं।

मैडम, रिव्यू के वारे में हम लोगों ने कहा था। आज कानून खत्म हो जायेगा हमारी आपत्ति है, मंत्री जी ने कल कहा इंट्रोडक्शन के टाइम पर कि जो लोग टाडा के अन्दर पकड़े गये हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजन टाडा के जो हैं उसके अन्दर जो चल रहा है वह चलता रहेगा। आप कहते हैं सेक्शन 5, जो पोजेशन माफ आर्मी है, ठीक नहीं हैं। प्राप कहते हैं कि सेक्शन 15 आफ टाडा, पुलिस के सामने जो एबीडेंस करेंगे, वह ठीक नहीं है और जब ठीक नहीं हैं तो उस सेक्शन के मुताबिक सजा

क्यों मिलनी च(हिये ? केस क्यों चलेगा? मैडम, सिर्फ यह कंप्यूजन का मामला नहीं है अपने अन्दर में। इसकी कुछ एम्जाम्पिल ऐसी हैं कि टाडा को लेकर के सदन को किस तरह से गुमराह किया गया । श्रभी विप्लव दासगुप्त जी बोल रहे थे। मित्रलीडिंग इंफार्ने अन देते हैं जब भी हम सवाल पूछते हैं कि टाडा में कितने लोग गिरफ्तार हैं। वह कहते हैं कि सिंस 1985 टू डेट, दिसम्बर 1985 तक 76 हजार लोग हैं। इसका मतलब वया है ? क्यूमुलेटिव है । हमने गोरखा लैंड के जमाने में दार्जिलिंग में टाडा का इस्तेमाल किया या और जब पोलिटिकल सैटलमेंट हुआ, उन सवको रिलीज कर दिया, केसेज जापिस हो गये । लेकिन छापके फियर्स में यह अभी भी मौजूद है। भैडम, वह परसंदेज किस तरीके ते मिसलीडिंग होता है, होम मिनिस्टर सहिब समझेंगे । जिस थाने में छोटी-पोटी चोरी साईकिल वगैरह की होती है, तो पूलिस क्या करती है? जब पिछली बार 10 चोरी हुई थी तो उनमें संदो इंडकर मिल गयी थी। इस बार क्या करते हैं, दस चोरी होने के बाद और भी दो-कार चोरों को ब्लाकर बोलते हैं कि ग्रीर भी दूस चोरी कर लो। इस चोरी करके तीन वाधिस ले लेते हैं और सात चला जाता है। लेकिन परसेंटेज में वह बढ़ जाता है। वह कहते हैं कि पिछले साल से कानून की व्यवस्था प्रच्छी हुई है। ग्रभी गुलाम नबी आजाद जी भाषण देवर के बोल रहे थे कि मैंने वर्किंग कमेटी को बताया, यह नहीं बताया कि किस विका कमेटी को बताया था। लेकिन वर्किन कमेटी में यह बताया था कि टाडा बड़ा खतरनाक है और उसका मिसयूज हो रहा है और इसलिये 76 हजार से घटकर वह 7 हजार हो गया। टाडा के अन्दर कभी इतने ब्क नहीं हुये थे, वह क्यम्लेटिव इफेक्ट है। हर साल कुछ-कुछ करके बढ़ता रहता है। होम मिनि-स्टर को जितनी बार भी हम लोगों ने पूछा, हम।रे पास उनका जवाब मौजुद है । 🛡 स्होंने स्टेट-वाइज, ईयर वाईज बेकग्रप दिया है। मंत्री महोदय, अगर उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो यह मालूम हो जायेगा कि कितना था। यह जब भी रिलीज की बात करते हैं, जेल के अन्दर जो लोग हैं उनकी संख्या बोलतें हैं । जो अनबेल्ड हैं, केस तो चल रहे हैं, जो वापिस नहीं हुये हैं, जिनको कोर्ट से बेल नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या

होगा ? वह नम्बर आव क्यों नहीं बोलते हो ? वह भी तो उसके अन्दर पड़ेगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN.; Mr. Salim will you please wind up?

श्री मोहम्मद सलीम : दास्तान लंबा था, में मोर्ट कर रहा हूं।

उपसमापितः यह न्यूमूलेटिव इफेक्ट नहीं हो जाये ।

श्री मोहम्मद सलीभ : क्युमलेटिव इफ्रेक्ट नहीं होना था । लेकिन केल हमें याद ग्रा गया । मैडम, कल ग्रापं थी नहीं, ग्रीर इसफाक से मैं कुर्सी पर बैठा हुगा था श्रीर वे तसस मंत्री यहां हाजिर थे जिन्होंने किसी न किसी टाडो को पाद्यस्ट किया गया इस हाउस में। चिद्रस्तरम जी भी थे। इन्होने हसारे हाऊस में 1989 में पायलट किया था। कल बटा सिंह जी भी आ गये थे इत्तफाक से । यह 1987 में टाड़ा के पिता बने थे। ग्रशोक सेन जी भी 1985 में इसके पिता बने थे और श्रभी ग्राप परमार्नेट पिता बनने जा रहे हैं इस कानन का । तो आप देख लीजिये, ब्टा सिंह जी 1987 में टाडा के पिता बने थे और 1989 में उनकी हालत क्या हुई थी ? लोग भूल गये थे और ग्रापको भी भूलने चलेंगे, ग्रापकी हुकूमत को ग्रीर मापकी पार्टी को भी। मैडम, श्रभी में यह कह रहा था-लास्ट पोइंट है। जो खतरनाक है, हम इसे हयूमन राइट के एंगिल में, डेमोकेसी के एंगल में नही देख करके कांग्रेस पार्टी ग्रौर बाकी दूसरे लोग सब इसको कम्यूनल एगिल में देखते रहते हैं और ऐसा ब्राज भी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा निर्णय जिसकी डेमोकेसी के लिये जरूरत है, ग्रापको निर्णय सेना पड़ता है । ग्राप जब उर्दू काफ़ोंस में जाते हैं तो भाषण दे दिया कि टाडा खराब है। जब ग्राप इमाम की मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं कि टाडा खराब है। ग्रभी तीन रोज पहले जिस रोज हाऊस में यह बिल इंटरोड्यज हम्रा था, टेनी/वजन पर दिखाते हैं कि: कुछ मुस्लिम लोगों की प्रधान मंत्री के घर में मीटिंग थी और वहां वह भाषण दे रहे हैं कि हमें पक्का यंकीन है कि द्वाज एक बिल प्रायेगा ग्रीर टाडा खत्म हो जायेगा । किसको इशारा करते हैं । ग्राप कानून बना रहे हैं पर्लियामेंट में, लेकिन ग्राप कम्युनल एंगिल से दिखाते हैं । लेकिन टाडों का मामला न क्षो मुस्लिन का था, न हिन्दू का था वह ग्रभी लीगल सिस्टम का मामला है। ग्राप ग्रगर बोलेंगे कि डेमोकेसी सिस्टम ठीक नहीं चलता, इतना प्रोब्लम, इतना घीटाला होता है, तो चली इसको डिक्टो-रियल कर देते है। जगमोहत जी का ऐसा ग्रःग्युमेंट हो। सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अाप इसकी कम्युनलाइज क्यों करते हैं ? अगर यहां से आपको समयन मिलता है टाडा के बारे में, तो गुजरात इलंक्शन के पहले टाड़ा के स्पेशल कोर्ट के जब के तबादले के लिये भारतीय जनता पार्टी बन्द बुलाती है, गुजरात में, कम्युनलाइज करने के लिये और हिन्दू और मुसलमानों के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं कानून के लिए गुजरात में रिजल्ट क्या हुआ, ब्रापको मासूम है । वह पोलिटिकल गेन करना चाहते हैं और ग्राप उस गड़ है में पड़ते हैं। .. (ञ्यवधान)

गुजरात स्पेशल कोर्ट टाडा कानून के तहत बना था और इसी मुल्क में कोई जज के तबादले के बारे में कोई पोलिटिकल नेता कभी कोई बन्द नही बुलाता था। लेकिन बुलाया गया इस मुल्क में जज के तबादले के सवाल पर। क्यों कम्यू-नल एप्लिकेशन हो रहा था। जब गुलाम नबी जी कहते हैं 93 की विकास कमेटी में उन्होंने कहा था कि मिसयूज हो रहा है। 1992 के मार्च महीने में इस सदन में

[श्री मोहम्मः सलीम (क्रमाण्ड)]
पालियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा कि
मिसपूज हो रहा है। 92 से प्राज तक
इसका एक न्यूमुलेटिन इफेक्ट हुना है।
संख्या उसकी कम हुई है लेकिन न्यूमलेटिन
इफेक्ट हुना है।

मैडम् मुझे याद द्या रहा है यह इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन इसी तरह से होता है। ग्राप चाहते हैं कि इस संक्शन का वोट लेना है उस संस्थान का बोट लेनः है तो चलो भइयः इसको शस्युनल करके ऐसा करना है। जो श्रभी ३:3 लोग कह रहे हैं कि ग्रपीजमेंट ऑफ माइनारिटी हो रहा है टाडा जारह। है। फिर प्रणीज-मेंट श्रॉफ बी०जे०पी० होना पाहिए कि चलो भई, एक जनरलकानुन लानः ः∤हिए । टाडा को भी इंस्टिगेट करना चाहिए ग्रौर इसमें क्या होता है कि क्रापका यह माजाता है और वह भी जता है। इसी तरहसे ऋरपने पहले भी निर्णय लिया है। ग्राप चले जाएंगे, ब्राप बह जाएंगे, मैं इसिंट ए ब्राप से यह निवेदन कर रहा हूं कि अप जरा सोविए । आप इधर-उधरे की पत गोविए, थोड़ा फ्रपने भविष्य के बारे में बोचिए श्रीर श्रगर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं सो ऐसा क्यों नहीं करते कि ग्रगर कानुन **आपको लाना ही है, मैं इसक**े सम**िन नहीं** करता हैं तो ऋष पाबंदी क्यों लगा एहे हैं ? दो साल, चार साल की बात क्यों कर रहे हैं ? ग्राप ऐसा करिए कि अब तक ये गयर्नमेंट है, तब तक यह कानून चलेगा ग्रीर उसके बाद जब ग्रापकी गवर्गमेंट चली जाएगी लोग निर्णय ले लेगें । इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह जा सकता है। प्रापको अगर हिम्मत है होम मिनिस्टर सःहब तो आप यह कहें कि जब तक मैं होम दिनिस्टर हुं और नरसिन्हा राव प्रधान मंत्री हैं, तब तक यह फानून रहेगा और उसके बाद धाने वाली जनता, ग्राने वाली सरकार इसका फैसला करेगी। धाप यह इत्त सकते हैं क्योंकि

भापकी सरकार, कांग्रेस पार्टी चाहे जिसके भी नेतृत्व में हो, कोई अपकोई काट्या कःनुन, कोई न कोई प्रिवेंटिन डिटेंशन ऐ।ट लाती ही रही है, इसके श्रलावा **श**ाने कभी हुकुगत नहीं चल ई है। हमने 77 में मीसा खत्म किया था, 80 में ग्राप न**ा**रा ले प्राए। इसी तरह से पी० डी० ऐक्ट था, डी० माई० मार० ऐक्ट या भीर भाज का टाडा जा रहा है मैडम्, मैं थोड़ा ईमोशन त हो गया हं इसलिए कि टाडा जा रहा है, तो प्राप सब के सब कानून को बना धार चा रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट के ग्रीर किसी दूसरे सेक्शन की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ टाइन नाम से नई बोतल में जो भाप डाल रहे हैं, इसी से आप सब कम तमाम कर देंगे क्योंकि पुलिस और पुलिस अफसर और ऐडमिनिस्ट्रेशन हमेशा यह चाहता है कि कितनी कम मेहनत से ध्य कितनी ज्यादा कड़ाई से पेश ग्रा सकते हैं जहां पर तमाम प्रोविजन्म की वे इस्तेम स करते हैं। साँपटर ग्रांक्शस को बोलते हैं जज लेकिन वे करते हैं सब से स्ट्रिगेस्ट जो प्रोविजन्स रहते हैं जिसमें उनको मेहनत वःम करनी पड़े, प्रमाण कम देना पड़े, ऐक्सटीयीन ज्यादा हो, ऐसे कानून का वेइस्तेमाल करते हैं। ग्रत्प भी उसके हाय में देरहे हैं। फिर अध्यक्षे में गुजःरिस करता हूं कि अध ऐसा मत कीजिए। इसके बायजूद भी ग्रगर माप ऐसा करना चाहते हैं, रबीन्द्र न थ टैंगोर की एक कोटेशन है ''प्रश्मी जेने धूरे बीय कोरे छी पान"-"(मैंने जान बृक्सकर जहर पिया है)।" तो ऐसा भ्रयर भ्राप करना चाहते हैं तो ग्रापको मुबारक हो लेकिन मेरा तो एक काम है, इस सदन के सदस्य की हैसियत से कि भापको यह कहना कि सामने काफी बड़ा गड्ढा हैं, छलांग लग ने से पहले धाप जरा देख लीजिए, इत्ने वर्षे में गुम यत रहिए। धन्यवाद।

not put to the vote of the House jor adoption

المرميان ودمع بيسك اوبرحرحاجل دى ج- ممادى تمام ورون ما قى اميك الكُ الكُ يولوون كم بارس مين موي ومنتعبك با تسريين - و د كنيد مدرمين ووادا آسته اودبسدل كأم

(اب سمایتی بدائم میں مولا) مبدُم آج ۱۲۰ مئ 149 كورج بو اعلادا قانون بي - برنام زمان برقانون حتم بہونے واللہ ع-میڈم - بھنے یہ قانون بناياتنا لترودزا كويع كت كيك

لإلكز ووسيعانثا سيسكا دريع بمادب جوسماما نيه ودعى مع كرمنل روميزن تؤفز-العمين العصلا بإجار بابنداسك مين اس و دھے يک كا ورود دوراز الو ميلم - يەزىك كلامسك ايكزائيل يع ا ور اگر ليني بو سع توانئر (تنرکنغيو ر تسريح كا قوم الحلائِلِكَ - يدري يه اواهن سے كر معامد بردهال منزى لينى ميں مبحکہ التے ہیں۔ اوراف قرم ي والانتريس ميرم -نها قالدن استعرائري كمي

كوالنالين جاليف الهركامية بول اله على - الإيرة رك بعي على دا مك المراجع الم حامه به الان سيم ويه يس يسطرت كال مين الماليع كرفا ويتميد السكافاليه اورائب فنودكيني بن كركتيروانيم بغروهم دبله سل دورال تلا الله الله الله الله الله إمريه البيعيد أيف معودان أربسه كما تقا تذايكا زوكف كابيد ساب ١٩١٥ يسك تصحيحات

مع المن الله الله المن ما الكفالين كالعقام إسيرنا معدسين كيا-مرام م - ابولاز بترجي كهرمه ته-دومسري سأتحمد ين تبادور كل الح مين ميدي - ممهفه 191مين منذ والحاليات البي ميث يرها تك كرميليس ايك ١١. بي المتنعي كالمريش كأي - أيضايه

والمؤراء والمراجع والمراجع والمجاجع والمجاجع

 $<sup>\</sup>dagger [\ ]$  Transliteration in Arabic script.

۱۹۸۵ میں ایک خاص وقت میں یہ فاقحا بنایا تنا اور اس وقت بی ہمادی بارق ک اور یہ کہا گیا تھا کہ اسمی ایسے ہراود حان میں ۔ جنسکے کا دی مسسی یوز مہرسکتا ہے۔ اور مہدا ۔ ۲ پ ہے اسکا ہودے ملک ہمی وستا در کرنا چاہ دیے ہیں۔ میڈم ۔ جرسین کمیس و اکلینس میں۔

ميرم-جوسينسكيس والكينس المسكسكة الساب الرحو لركاجاميم بن والسكسكة المراب ولركاجاميم بن والسكسكة والمدن بول والمن المراب والمن المراب ا

میؤم دوچارمنت کاسے آب ہے مانگونگا ۔ کئی دزرسے ہم ہوگ یہ بات گرناچاہ رہے ہیں آج تو یہ قانون بھی ہے آئے ہیں اور انسکے بروچ چا ہیں گرفی گڑگاہ کیونکہ دوچارسال توآب با راسمنت بھی ہیں ہیں۔ بناوے رہے ہیں۔

ے۔ برورزم کرمٹانا جائے ہیں جوٹیوورٹ ين الكوسز اوينا وإبيق بين مين تنانا چام ولگا آ میکوهیرت بهوگی -اس ماینیده مسون مين بهادى يت مانينية معومير مين السي معون كرائي صيب في كافتل كرايا لأب تترود مست كريكونا وإينيص يس ( تكوينس بكونا جائية -أج طومتعيم معذوب مين فلرني كردر لماسيم -اسكوسزا بيس دينا چايته -ايئ معرالرمهو-بيبرو كريستي -الكووه زرزناجا بيتزبين خوف ميولانا چابعة ميں - رئت إيساماحول بنا ناچا يبتيزين sur ides meideo Ectetilitie مع زن اور اوگران مین حوف بدر امعواد -رس خوف میں تیمرد زام پلتا رہے۔ برحنا

<sup>†[]</sup> Transliteration in Arabic script.

not put to the vote

of the House for

adoption

not put to the vote

of the House for

doption

<sup>†[]</sup> Transliteration in Arabic script.

چەرى مولى چورى مىدائىكل دىرە ئىمموتى توليوليس كاكري ع جبب يحديك ه الهول تحق ترز نمير معدود هولا كرمل فتى تعييد- اس إدك كرتيس- دس بك نے کے لیداورہی دوچار جورول کو ملا كم بعطاتي س كم اوريم بردموجودي مركودس جوله ي كرك تين واليسور أ " ليتربين - او رسات جاله جاتامير رمينتي مين ورميحاتاب ليتغ بين كريجيع مسال سع تنافعان كالإسما عامنس د فرکے تول دیں تھے کہ م مع وزكنگ تميخ اكتربنايا به منيورنايا سے ودامس کا مسی بور بہور ہادارار ا مسلعها عن ( درست گعیف کرے بھر ادبعہ کیا ۔ فا دُوا - يَ الدركتي رتيع بك بنس بعيد فقع. كريح بوصفا ومتبايع عفي منه بارتعى م توكوب بوي ايما ديد يأس اسومحاجولب معصورهج الخعول نيرا والمزاية واكزبريك اب ويابع-من ليتهيس تويه معلى بهوجامين كركتانا-

فاذا كارستول كباتهاه وحب بالبنكل

adoption

وه حب می زیلیزی بات کهتے میں۔ جيل كالارجوبوك بين النك مستنكها بولتے ہیں۔ حوال بیلی مرسی - کیس ا توجل اس میں میرودالیس بیس مرح بين جنكوكورشسه بيل ليس معواس المسكة بالمسيد ميس كما م وكاندون ثميراكب كيوب مين بولت مووه بي تواسك الدربرمان THE DEPUTY CHAIRMAN Mr. Salim will you Police wind up?

النفرى تدرمليم: ‹‹مستان كمباطفا-میں نندادیث کروغ بعوں۔ اب سىجايتى، ودكيوموليغافيكث بنیں ہوجلہے۔

نفون محريملين كيوموليشوا فيكث بنير بيونا تفا-ليكن كل بمين يادا كيا-ميدم كل إب تي بني اور اتعاق سے مين ترمسي بربيع عام واتعا اوروه تمام منتری بہاں حافر تھے۔جنہوں نے کوئی ن كوك تادر كوبا تلت كياتها باوس مين-چرمرجى بحى تق افول نے بمارے ما وكس مين ١٩٨٩ مين باللث كيا تنا-كل بوناسك جى بى أنكرت (تغاتى سے - بر ١٩٨٤ س منا مح (كنه يتنابيف تقيم الله وكس معين جي بعي ١٩٨٥ مين العلك يزليف تقياوراجي أب

مرمانينث يتابيغ جاديع مين اس قانون ك- توآب ريكه لسية - بوفاسكه مي ١٩٨٤مين ځا دُاك يَمَا عِنْدِ تَقْدِ اور١٩٨٩ ميں دنئی حالت کيا بيورُ تھي۔ لوگ بھول كَدُو نِنْ اور أيكو بعن مجد النّه حِلْين كُ - أَيْلَ حكوست كواورزيكي بإدني كريمي مينتم -امی میں یہ کہ دیا تھا۔ لامعث ہوائنٹ مع -جو فطرناك يع مع العي هيون لانك كاينالل ميں في بموكر بيسى ك (ينكل منیں دیکھیرے - کانگریس باری اور اق دوسرا دوك سب (مدكر كيونل إيراك مين ديكون رميقي بين اورابيها أحجى كرويع بين -كوئ بي ليسانريغ جسكي مُرْمُ وكريسى كَوَالْ واسْبِط- الْمِلْكُو اُولِينَة لينا برم ايد - أب جب الدو كانونس میں جائے ہیں۔ تو بھاشن دیدیا کہ تاؤا خراب میر -جب اب رماع کی میکنگ مين جانع بس توكيت بين كمثاف وخراب ميع ابعى تبين اروز يهيع حبسس اروز باوكس ميس بيهل انشرور يوس مع واقفافيك هريزن برد كفاتيس كركتي مسلم الوكول كروا منترى كركتم مين ميثنگ تعی اواجن وبان بعائش دمير رسيع يخفركه سمين ليكايفين ببح اكراج ايك بل أيكا الاسطافة اختربه والعكاء كسر كتوانساده كرشيس آب قانون

<sup>†[]</sup> Transliteration in Arabic script.

387

adoption

تفاحب فللونس أزادج بكيترس مع ى وركذك كميلى مين اعدون مديكاتما كه ں پوز مہور ما ہے۔ 1941کے مارچ مہیسے ايك كيوموليل إفعك بهواس يرسنكها ا مسكى كم بعوى بير -ليكن كيومولييتوافيكث ىپواچە - با ليئيكل اود ودايكيومولېث ىبواسے -

ميدم - يجه يادار بابد - يرنسك مساتھ جراموا بنین سے -لیکن اسی فرح سع برونليد يرب جابية بين داس معيكنتوزكا ووش لدنابيع-السريسيكتش كا ووث لذاجه - توجلونعيا - السكيمينل كُرْكَ أيسا كُرْنَا بِدِ- جوابي كِي لوگ كيم ديه يس كه دينرمنث الف ما مكاد أن مهور باسع - بيرابيزمنت أف بي جب ميونا چايين كه ولويد ايت جنول قالون لدناچاييئ - فاوركوبس انسى كيك كرنا جابية (ودامعين كيابردا بيه كرايكاير معى جاناريداورون مورحاتاب إسيلي سے کیٹے ہیں ہو تریشے دیا ہے۔ ایپ چلے جاري كا - الب به جاريك ميل يعلى أب سے يه نويدن كردم ميل كركم بي ندو معموجية - أب ادحر ( دحرى مت معوجية -

بنارسيم بس- ياد ليمنديس - ليكن أب تكبيونل اينكل دكفالناميس وليكن ماقزا كامعامله من ترمسلم كاتفا- من مبدوكا عقاده انبعي لينكل مسستم كاسما راريب- آم اتنا بردبه اتنا تكوارم وثابيه - ثد جلوا مدكر وكروريل كرديتي بين - جلكرين جماكا ايسيا آذكرمنث بوسكتابيع وال يبيع كذائب (مسك كمك نالامُز) كيك معارتيه جنتا بارئ بغر بلاتي بع مين - تميه نالائز كون<u>ركنك او د منعاد واس</u> مسلمان کے نام پردوکوں کو بانٹ دیمین تعاذب كيدي يحررت سيدرلث كواموا-أبيوسلم به - وه بالبيليكي كين كرناچايتے میں اور اس اس گرشے میں بھتے میں

كجرات اسبينغل كورث فالحراقالين کے تحت بنا تعال و رامبے رملک میں کوئ نيحيالكية ركويُ مند منهو بلاتا يتنا - ليكن بلايا لَّيَا اس *ملا مِس بَيْسَةَ نباد ہے ڪ* 

<sup>†[]</sup> Transliteration in Arabic script.

389

تقا- اور أج جب تا دُرواله إيد ميدم.

كاودكس دومس مسكنتين كم فرورتاني ميعك يمف فالدانام ني بوتل مين جواب ن آسکتے ہیں-جیاں برتمام

not put to the vote 3 of the House for adoption

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairperson, today we are discussing the Criminal Law Amendment Bill which has been introiuced to replace TADA which had become very controversial only in the Last few years. Hon. Members of the House on both the sides are aware that TADA has been in operation since 1&85. TADA has been renewed every two years. It is renewed by Parliament every two years. Let me remined the House that between 1989 and 1991, TADA continued to operate. My friend sitting on the opposite. side did not initiate any move to repeal TADA beween 1989 and 1991. A law which was considered necessary at one time is being termed now as a black law. In what circumstances and situations it has become a black law which led to this controversy wherein the Government itself has decided to repeal it with another "law is e matter which will be decided by the people of this country.

Madam: friend became mv verv emotional. It is not a question of committing, suicide or keeping law as long as this Home Minister or this Prime Minister is there. have introduced a Bill which is good for the country. It may not be neces sarily good for you politically. There has been a spate in all kind of ter rorist activities; insurgent activities of different parts the country with different kinds of Rerious tions: sometimes threaten'ng even the sovereignty and integrity of the such an extraordinary country. In situation: all know that normal we laws" do exist.. The Criminal cedure there. Code is already under certain extraordinary situations land circumstances; these laws have to be introduced. Therefore; Madam Chairperson; this law was introduned and it continued to operate for ten long years. Well; allegedly; there has been a lot of inisuse during the last two or three

years and; I think; there has been a lot of reports in the newspapers and not only the colleagues from the other sidw of the House; but also many colleagues from this side feel that the time has now come when probably some remedial measures have to be taken to see to it that this kind of a misuse doesn't take place.

Now, today, we have introduced a Bill which is going to become a part of the Statute Book. As I had already mentioned; we already have laws like the Indian Penal Code and the Criminal Procedure Code and many other laws to deal with these situations. But; yes; in extraordinary situations; when things go out of hand; certain laws are and would be necessary for any Government that is in power. But; whether it is a wise decision to actually incorporate this kind of a Bill ag a permanent part of the Statute Book is a question about which I am not convinced. I personally wish that there should have been a timeframe even for this Bill which we are discussing today.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA; Do you want it for a limited period?

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: That is right. I would also request the hon. Minister of Home Affairs to limit the provisions of this Bill to a period of; say; three years or five years or whatever the Government thinks is appropriate. He can again come before the Parliament, seek its permission; if the situations then warrant this kind of measures or if the Government feels that it should arm itself with soma extra powers than what if. has under the normal laws. So, I would make an earnest appeal to the hon. Home Minister to consider this and, if possible; make a provision so that this Bill can be limited to a specific period subject to; of course; further renewals[Shri V. Kishore Chandra S. Deo]

Now, we have introduced this Bill and we have done away with the TADA because are also agreed we upon tho fact that certain misuse had taken would like place. Minister appeal to the hon. Home all the not to reopen and review cases, but to appoint a high-poweed committee or a committee of experts. at least in those cases where there has been a blatant misuse and poli vicimisation of some detenus. They should get some kind of a re lief within a time-frame. It is also very necessary verv that those who are responsible for this misuse should be brought to book. I wish that there should be some provisions made for accountability the of those bureau crats be Policemen or poli ticians, whoever they may be. Of course, our hon. collea Shr Babbar gue; Raaj was asking whether the country is going to be by the police or the bureau Madam, you know that the country cannot be ruled only by poli ticians, only by the bureaucrats or only by ine police. You need of them. And, when certain implemented provision are or when they are misused, all of them share equal responsibility. I am not one who would like to condemn the entire' police force or the entire bureaucracy. There police are good and good bureaucrats also. But, with regard to those who have been responsible for these things. I am sure that the hon. Home Minis ter can pick out those cases, review them and see to it that relief is given to them and also see to it that some kind of accountability to the Home Min'stry or to Parliament is there in such cases.

There are one or two other things. Madam, there is a presumption clause in this Bill which actually puts the onus of proof on the accused. I think this is a risky and a dangerous clause.

which can actually result in the mis use of these provisions. I think, that is exactly what has happened in the case of TADA. Well, those sections and 22. there. 5 are not But I think this presumption clause. can caulse a lot of harm and, therefore, I think that this provision, where the onus of proof is on the accused, could also be changed to see to it that those prosecuting authorities will have to sufficiently prove before they prosecute a cer-tain person under this particular Act which we are going to pass.

Madam, I think the definition is also very very large and ail pervasive. There should be a simpler definition as far as clause 3 is concerned. Then, clause 4 says, "Whosoever harbours or conceals, or attempts to harbour or conceal, any terrorist shall be punishable with imprisonment...." Madam, in Andhra we have extremisc activities, Sometimes the village people become the victims of two sides the police on one side and the extremists and terrorists on the other. The police are not there all the time when these extremists and terrorists go and threaten the people at the point of gun and ask them to serve food or they take shelter in that village for some time. In those circumstances the village people are helpless. When the police come it says that they have let those peopla come and provided them food or shelter. So, unless we are able to provide full protection to such people who are threatened at the point of gun, they cannot also be treated on par with the terrorists or extremists who are actually active. I have seen, in many cases, that people who are not extramists have been pushed into the extramists camps. So, while dealing with such cases we should take abundant precaution and care to see that the people who are innocent or who don't have that bent of mind or that kind orientation, don't become

(SHRI V. KISHORE CHANDRA S DEO)

Victims of this kind of provision. the introduc support tion of this Bill because I fee] that such Bill does exists. I Sure Members this that on all sides of House Will agree that cannot allow and grow. and therefore. in the present situation we do need some extraor provisions deal to with these extraordinary situations. is terrorists from across the border. but there are also extremists within the country I would like to tell my friends here why revelled at the a mosque or in same the of a shrine also come in category. when these After all. kinds of things are done by certain of people, then you must have some extraordinary deal with it-Therefore. Madam, there are certain corrections that could be made. There are certain safeguards that I would like to have, but at the present juncture, I don't think that we can do without a law like this. Therefore, I welcome it and I Home Af. fairs to give due consideration to the points which I have raised and I would apoeal to my friends and colleagues on all "तो की मेरे करल के बाद उसने sides of this House to support this Bill.

बौलाना धोबेद्दला खान आज्मी : शुक्रिया **डिप्टी चेयरमैन स**ंहेबा । टांडा चंद समय का मेहमान है। पूरे मुल्क की लानत मला-मत का फान पहन कर माखरी हिचकी

ले रहः है। हिन्दुस्तान भर की तमाम इन्सा-नियत दोस्त तंजीमो ने जिस जिद्दत के साथ इस कल कानून की मखालफत की उससे ज्यादा शिद्दत के साथ हमारी मरकजी हकुमत ने इस काले कानून की हिमायत में, इसके डिफेंड में बकालडें भी यहां की । आरंज मःलुन नहीं कितने वेकप्रूर लोग इस टाडा के जुल्मोसितम का शिकार होकर मौतकी गोद में जा चुके हें ग्रीर यन वहटाडा यहां से जारहा हैतो उनकी कह रही हैं

के दामन को लिए हाथ में कहता है यह काति त कब कर इसे घोया करूं लाली नहीं जाती

उन बेकसूर इन्सनों के खुन की लाती उत हुकुमत के दामन पर हुमेगा रहेगा जिल हुकुमत को मजलुमी का खुन, मजबुमी का कल्ल दिखलाया गया मगर हुक्मत ने नोटिस नहीं लिया बेपनाह अवासी दबाव के शहत हक्षमत इस नतीजें को पहुंच चुकी है कि ग्रा ग्रार हमने इस कानूब को बापत नहीं जिबा तो म्रब तक तो लोग टाडा के जरिए मीत के घाट उतरे और टाइं के जरिए बेशुमार बेकसूर इन्सानों को तब हा और बरबाद किया गया, लंकिन प्रब खुद यही would like to appeal to the hen. Minister for टाडा की तलवार हमारे गले का श्रीजार बन जःएगी।

तीब ;

हाय उस जुदे पशेमानका पशेमान होना"।

मुल्क की तारीख में टाइा के जरिए हुए जुल्मों सिस्तम की कहानी हर दौर में दोहराई जाती रहेगी । जब भी कोई जुल्म होगा जब भी कोई जालिमाना कानून इन्सानियत की पुक्त पर खंजर घोषेगा तो दलायल के तौर पर इस दौर के इस जालिमाना काकून का भी नाम हर उस दौर में लिया जाएगा जिस जमाने में इस जालिमाना कानून को खत्म करने के लिए पालियामेंट में हक व सदाकत की आवाज उठेगी । अब इस कानून को खत्म करने के साथ—साथ इसके बदले में एक नया बिल, एक नया कानून लाया जा रहा है । यह नया कानून टाडा व ले कानून के मुकाबले में कुछ कम नुकसानदेह है मगर अवामी दुश्मनी से यह भी भरा हुआ है । इसमें भी जुल्म को पनाह देने की काफी ताका मौजूद है।

मैं जनता दल का मैम्बर हूं । हम लोग लोकशःही में ग्रौर हयुमन राइट्स में यकीन रखते हैं। जो कानून लाया जा रहा है, मेरी अजारिश है कि इसमें जल्दकाजीनकी जाए । यह सिर्फ ग्रक्लियतों का मसला नहीं है। ग्रक्लियतों को तो पामाल इस कानुन के जरिए किस तरह से किया गया है शायद कानून की दुनिया में इतनी बदतरीन मिसाल न मिल सके । मगर इस कानुन के जरिए सिर्फ प्रक्लियतें ही तबाह नहीं हुई हैं बल्कि इससं पहले लेबर लीडर्स भी इस जुल्मों सितम का इसी कानून के तहत शिकार हो चुके हैं खास तीर पर गुजरात में लेबर लीडरों को इसी कानून का बेजा निशाना बनाया गया है। जल्दबाजी में ऐसा कानून मत लाइए जो पिछले कानून के मुकाबले में भी बद से वदतर साबित हो । ब्राप यह बिल पास करने से पहले किसी ज्वांइट सिलेक्ट कमेटी के हवाले कीजिए तः कि तफसील से इसकी जांच हो सके ग्रीर मुल्क के अवःम को ज्लमों सितम का निशामा होने से बचाया जा सके । जहां तक ब्रातंकवाद और उसके

खिलाफ मुल्क को बचाने का सवाल है तो हमारे पेश्तर मेम्बरान ने ग्रवनी जिस राय का इजहार किया है मैं भी पूछता यकीन रखता हूं कि हिंदुस्तान का हर वफादार शहरी चाहे हिंदू हो कि मुसलमान, सिख हो कि ईसाई, किसी भी ग्रातंकवाद को पनपने की इजाजत मुल्क में नहीं दे सकता । मैं सख्त से सख्त कानुन के हक में हूं। ग्रगर मुल्क के सःथ कहीं गद्दारी की जाती हो, ऐथे महार से क्यों न जीने का हक भी छीन लिया जाय, अगर इस तरह का भी कानून पास होता है तो वह मुल्क के हक में बेहतर है इसलिए कि फर्ज के लिए उसूल को कूरबान नहीं किया जा सकता, उसूल के लिए फर्ज़ की कुरबानी ग्रगर दी जाती हो तो यह कोई बहुत बड़ी वात नहीं है । इसलिए मेरी नुजारिश हैं। कि इस कानून पर ग्रापनंजरेसानी कीजिए, अपने बिल पर नजरे सानी कीजिए और इस बिल को सभी पार्लियामेंट से बाहर ही रिखए तो बेहतर होगा।

ऐसे कानून की जरूरत ही क्यों पड़ गयी है। दुनिया भर के कवानीत मौजूद हैं जिनके जरिए ग्राप मुजरिम को केफरे किरद'र तक पहुंच सकते हैं । श्रगर वे सारे कवानीन मुजरिमों को कैंफरे किरदार तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल नहीं करते, किसी नये कानन की बदरजए मजबुरी ग्रापको जरूरत ही पड़ गयी है तो फिर कानून खुदा के लिए ऐसा लाइए जो मुल्क की ग्रवाम के लिए दूश्मन साबित न हो और मुल्क की पुलिस के लिए रिश्वत का सत्मान न बने, मल्क की दलाली करने वालों को मौत के सौदागर बनने का संकेत न दे । मौत के सौदागर बनने वाले कानून की हम मुखालिकत करते हैं। इन्हों जुमनों के सन्थ मैं प्रयनी बात खत्म करता हं।

399

ى يرى قىتارى بواس رجفايع توب المية (مو أم ويغيمان كايشيمان وا-ملک ک تاریخ میں شاڈ اکٹ زوسے علا سنتي كالمان إدورس دوحوا كا جات دياك-جب على كول المرموكا -جب عن طاعات قانون انسانيت كيست برحنوه فيالا تودلائل تنطوار براس دورسئة الاس ظائران فاذون كابي نام بهواس دوكيس Wally and de John تعانيون كوختم كرن كيلئ باديمنث ميوحق وصداقت كالهاف المعلكم-اب استانه كوختم كيف كمساقة مساقة السيح بديرانيك نيابل-ابك نياقانون لا اجار باسم-يم نيا تانون كاؤا وسه قانون كم مقليل میں کچھ کم نقب من ون سے مگر عوام دشمنی ين ارمو موا الواس - اسمى عوالله يىنان دينى كالمأفئ فاقت موثوديه ميوج شنادل كالمحبر كمون مرجم لوثث ويك المعان اور فصير من راكيشسومين يغير المكت بس-جوفالون للريادار اسم-مرى كزاريش يع كذا تعمس حلو بازى ن ك جلك بيمنف أقليتم كامستاليس

Service of the Army to the

داس كوسك ها توس كوتاب درقاتل ان ب قصول النسانون كالاراس هكوت ان ب قصول النسانون كالاراس هكوت مخارس مجمع شريط كل جس حكومت كم مغارس كانون - مظلومون كا قاتل دكفالا ا اكيا - مكراس حكومت فه نوفس بين ليا اكيا - مكراس حكومت فه نوفس بين ليا اس نتيب برنيم بي حيل سع كراب الرام في اس قانون كوال بسرنين ليا تواست اس قانون كوال بسرنين ليا تواست اس قانون كوال بسرنين ليا تواست توليك فافوا ك در بيد مريت كوكوات المراق فافوا ك در بيد مريت كوكوات

<sup>† []</sup> Transliteration in Arabic script.

adoption

الفلتول كوتر بأمال استمازي كالديج كسريع مع ليًا كَذَا بِي مِنهَا يو قانون كَ ليا

تانون باس موتايد ترور ملك بس برم مع المسلة ك فرد كلة العرار وأران دى جاق بيلويركون بست برى بات بنس، سلامسالا يك حرماك ى عواج يك يفي ومتعمدة تابيت بذبره اورملك كردايس كشريع دهموت كالعامان نزيغ -ملك ي دلالي م عود الول كوه ي کے سرچ داگر کے کا مسئکیت منہ دیں۔ موستسيك معبود الكيض وبسنية أأوان كي ميم سخالف كرتے ميں - ارنہيں چوں کے ساتھ میں اپنی اے - 1/2/19

<sup>†[]</sup> Transliteration in Arabic script.

not put to the vote of the House for upoption 404

THE DEPUTY CHAIRMAN: All the speakers are over. I would now call the Home Minister.

THE MINISTER OF HOME AF FAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Ma. dam, I must thank all the Members who have contributed to a very live ly debate on the Criminal Law Am endment Bill, 1995. As many as 48 amendments have been proposed. have gone through each of these very carefully. I can well understand the concern of the hon. Members in striving to achieve a balance between the requirements of the security of the State and individual liberties of its citizens. I am accepting some of the suggestions which arose during the course of the discussion. It would not be possible for me to adopt any of the amendments as suggested in toto, I have accepted the pith and substance of some of the suggestions and have incorporated them in suit-' able phraseology at the relevant places in the Bill. The important proposals I have accepted relate to amending clauses 1, 2 and 3 and clause 4 clause 17: clause 18; clause 21(2) and clause 24 (2). The sub-stanoe of the change of clause 3 is that only such acts of terrorism which are intended to affect the unity, integrity, security and sovereignty of India or which affect people or sections of people, are

made punishable. Hon. Members, you will be interested to know that similar kind of amendments were also given by other political parties. So, it is not any particular party that has given these amendments and an impression should not be created...

SHRI S. JAIPAL REDDY: We have not got a copy of these amendments.

SHRI S. B. CHAVAN; Yes, Yes, a consolidated list of the amendments is there; thereafter for official amendments; also. I have given a notice,.. (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am talking of the official amendments.

SHRI S. B. CHAVAN; For official amendments also I have given a notice. I do not know whether it has been circulated or not. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN; I wiU just explain to you. Mr. Home Minister, can I just say something? The Secretariat got the copy, the original copy at 4.15. That is why we were delaying the speeches also so that we get enough copies.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Then the cat will be out of the bag.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I did not want the cat to be out of the bag. The speeches were good enough. But, apart from that, we had given time for voting at four. We delayed it a little bit because we wanted the copies of the amendments to be ready for the Members to read because I did not want to start the voting till all the Members had the copies. There are ten pages of it and photocopies have to be made ready for all the Members. It is quite a marathon job to do within 45 minutes. But the Secretariat has been able to give some.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, if the Government is feeling serious, let them have a talk with the Opposition. Let them postpone the voting till tomorrow... (Interruptions)... We have the answer. Even this reasonable sugges-teion is not acceptable... (Interrup' tions)... Okay, we understand it. We now understand the attitude of the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN; There is not need to have... (Interruptions)

DR. BIPLAB DASGUPTA; Madam, my suggestion is... (Interruptions)... Madam, what the Home Minister is saying, we are happy that he has mentioned that he has tried to accommodate what we suggested by way

not put to the vote 406 of the House for adoption

of amendments. But the problem is this. Until we see it in a written form, we cannot farm an opinion.. (*Intervptions*)... What is this, Madam? ... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN; He has a right to speak. I agree. In the spirit of the parliamentary democracy, let him say what he wants to say. The Home Minister was hav. ing meetings the whole day and I was a witness to it. He had a lot of negotiations, talking and discussion. He has come with these amendments. So, if the Members are saying something we can always find a viamedia.

DR. B1PLAB DASGUPTA: Ma-dam, what I suggest is this. Let us have it in a written form. It is a law... (Interruptions)... It is going to be a law... (Interruptions)... We need to go through it clause by clause. Otherwise, the difficulty is this. We as a party, have to consult our members, we have to consult the other parties also before we give a decision on this.

Before we come to a decision 5 P. M. on this, what I am suggesting,

Madam, is this. Now that the Home Minister has given this substantial amendment which he thinks will accommodate what we wanted to do, what I suggest is, Madam, you give us some time; either you give us one hour today, we can go for tea or something or take it up tomorrow so that we can come back with a considered opinion on this, Madam. If you force us to *So* for a division on this, we have to stick to the old decision.

THE DEPUTY CHAIRMAN: One by one. Let us not generate heat on such a thing. It is a technical problem because the Secretariat cannot produce so many copies within 45 minutes.

DR. BIPLAB DASGUPTA: If that is the case, I suggest, Madam, let the copies be distributed to all Members and at least an, hour should be given

for them to study and then to *come* back prepared with whatever they have in mind. Otherwise Madam, it will be a hasty job and it will unnecessarily create difficulties for us. What I arri saying is, in the right spirit the Home Minister should allow this time to us.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar); Madam, I also support his idea. We should not rush with this matter. It is a serious thing we are doing. It is going to be a penna-nsnt law on the Statute Book. I, therefore, appeal to the ruling party, let us try to do as much as possible so that there is a consensus; give us time. In one day heavens will not fall. So you should extend it and have the cooperation of all

श्री सत्य प्रकार मालजीय : उपसभा-पति जी यह 6 पेज का विवरण है ग्राखिर पढ़ने के लिए कुछ समय तो चाहिए हम लोगों को ?

े उपसमापति : होम मिनिस्टर साहब कुछ बह रहे हैं सुन लीजिए।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, in fact, the amendments which have been now given to the House, they are as per the discussions that we had with the Members of the Opposition. I can understand, some time may be given, I have no objection, let my reply be over and thereafter you can adjourn the House for half an hour. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN; All right. Let him first finish his reply, meanwhile, let us hope that we will get enough copies.

SHRI P. UPENDRA: Leaders should be given more copies. (*Interruptions*)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right, every Member will get a copy, do not be agitated.

[RAJYA SABHA]

SHRI S. B. CHAVAN; The I have accepted tant proposals late to amending clauses 1, 2 and 3, clause 4, ciause 17, clause 18, clause and clase 24(2). 21(2) The sustance of the change in clause 3 is that only such acts of terrorism which are intended to affect the unity, in tegrity, secarity oy and sovereignty of India or when affects people of people are made sections punish able. I have introduced the ingre dients of means rea or knowledge in various sub-classes of clause 3. The definition of clause 4 has been re drafted to clearly bring out that it is only thoue who question the terri torial integeity or sovereignty of nation who will be booked under this Bill. Members will appreciate that with these chauges the proposed law becomes highly specialised in the sense that it could be applied only in the rare Cases where the rarest of the unity, integrity, security and so vereignty of the nation is sought to be challenged or affected. Due to this, I am also proposing an official amendment providing for an appeal from the Special Court to the Supre Court since it is essential that dilatory legal proceedings are avoid reasons I ed. For these very have also suggested an amendment to clause 24(2), deleting the words "threatening to arrest" and provid ing a higher punishment for two years for malicious actions of police officers. I am fully conscious of tho anxiety and concern, expressed by all the hon. Members about the fate of the pending cases. In this connec tion, I wish to reiterate that all the Governments, of States and Union Territories will be requested to fully activate the review Committees and ensure that they move frequently and periodically. Further. there must be enforced a time-bound ap proach to the grant of relief to such of those innocement persons who have been wrongfully victimised. Let this august House assure that these Committees, though they have no statutory basis, owe their existence to the judgement of the

highest court 01 the land and therefore, have ther own sigmncance, importance and status. As I was mentioning yesterday, a number of cases have been reviewed and the TADA provisions in respect of over 5,000 persons dropped. I assure this august Ht use that this exercise would be iurthar geared up and accelerated so as to provide expeditious and speedy relief wherever there has been a miscarriage of justice. Apart from tha Ministry of Home Affairs, the National Human Rights Commission is also actively associated with this item of work and is periodically reviewing the process made by the Review Committee-!. I reiterate my resove to maintain a constant pressure on the State and Union Territory Governments to ensure relief and succour to those who have unjustifiably been wronged.

Madam, I commend the Bill for the consideration and approval of the House. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN; 1 think he has explained it quite well. (*Interruptions*)

SHRI M. A. BABY; Madam, we have not, received a copy of the amendments.

THE DEPUTY CHAIRMAN; You can read it. (Intenvptions)

SHRI M. A. BABY: Copies have not been given. (*Interruptions*). It is the right of the individual Members to get a copy of the amendments (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA; 1 am on a point of order, Madam. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: 1 think everybody has been given. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am on a point of order, Madam. My

not put to the vote 410 of the House for adoption

point is this. If the Members, individually, do not get a copy of the amendments which the hon. Home Ministei has propose 1, how is it possible for the Members—not the party leaders—fo apply their mind? We are here, individually, as Members of this House. If the individual Members of the House do not ,get a copy of the amendments which the hon. Home Minister has proposed, how is it possible for them to take a view on the amendments? Therefore, I draw your attention to this and I suggest that till each Member Rets s copy of the amend-mens, the Proceedings of the House may kinldy be adjourned

THE DEPUTY CTAIRMAN: I think copies have been ditributed. (*Interruptions*),

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: No, Madam. We have not got it-

SHRI M. A. PABY: We have to apply our mind. (Interruption)

THE DEPUTY CHATRMAN: They are coming. *Intern ptions)* Please sit down. They are coming. *(Interruptions)*.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, the point made by Mr. Gurudas Das Gupta is very important because the amendments tabled by Shri S. B, Cha-van do not reflect the statements which he has made just now. Let me refer to one amendment. Earlier, an appeal would lie to the High Court. Now he says that it would lie only to the Supreme Court. He has made a concession to the B.J.P. and not to those who want the victims to be saved from the possible misuse of this law. Therefore, until each Member received a copy of the amendments, the House cannot consider them properly. (Interruptions)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I have raised a point of order. It is impossible for the Members to take a view or the amendment until Members are given a copy of the amendments. I would like you to give your ruling on this Madam. (Interruptions)

SHRI MD. SALIM: We cannot borrow the confusion of tho Government. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is a matter of right.

SHRI, MD. SALIM: History would not forgive us. We should not pass this without going through it carefully.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is a matter of the right cf the Members to get a copy of the (Interruptions) amendments.

SHRI P. UPENDRA: .Madam, I suggest that you adjourn the House till 6 O' clock. We can take the vote at 6 O' clock. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIT MAN: I do not want to strain my throa when there is croosstalk going on (Interruptions)

SHRI MD SALIM: Mulam, please adjourn the House.

We can continue tomorrow.

THE DEPUTY CHIARMAN: Not tomorrow, but today.

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: Why do you hurry? You may be in a hurry, but we are not. The country is not in a hurry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute. Order.

श्री स्थेहम्मद सलीम : मंडम, इतनी जल्दी क्या है, हम कल यित सकते हैं ? ...(श्रवधान)...

النوع ميم المريد ميدم اتن جلوى المريد المري

श्री पाद बब्बर: सम्प्रा में नहीं श्राता, क्या बोलते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: जरा एक मिनट वैठिए। ...(क्यवदान)...चव्हःण साहब की बात सुन लेने दीजिए।

<sup>†[]</sup> Transliteration in Arabic script.

-SHRI S. B. CHAVAN: Madam, I have no objection if the House is adjourned for about one hour.

श्री सत्य प्रकाश मालनीय: कल के लिए रिखए, मेरा जो अमेडभेंट है, मुझे इसको पढ़ना भी पड़ेगा।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is not a question of time.

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have followed it. I have understood it.

श्री सत्य प्रकास मालवीय: मैडम, कल के लिए रखिए।...(क्यवधान)... मैडम् मेरा निवेदन यह है कि मुझे इसको पढ़ते के लिए समय चाहिए श्रीर इसको पढ़ते का ...(स्टब्सन)...

श्री चतुरानन निश्न : मँडम, मेरा एक सवाल है। ... (व्यथधान)...

श्री राज बब्बर : यह ध्रंग्रेजी में है, समझ में नहीं ग्रा रहा है कि क्य लिखा है। ...(य्यवधान)...

श्री चतुरानन मिश्रः मैडम, हम श्रु पसे जानना चाहते हैं।... (श्यक्षाम)... मैडम्, हम जानना चाहते हैं कि श्रमेंडमेंट पर हम लोगों को श्रमेंडमेंट देने को श्रविकार है या गहीं है? ... (श्यक्षवत्त)...

We have the right to get the copies. We have the fundamental right to get the copies... ( *Interrnpiovs*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please doa't behave like this.

श्री शंक र ह्याल मिह (श्वहार): मैडम, मेरी बात सुनिए। मैं यह नहीं कहत कि एक बंटे के लिए किया जाए याएक दिन के लिए किया जाए, मैं चाहता हूं कि हिन्दी कापीज नहीं अगई है, उनको पहले सदन में मंगाइए, वे बहुत जरूरी हैं।...(व्यवधान)... मैंडम, ... (व्यवधान)...

उपसमापितः मुझे मःलूम है हिन्दी की बात । ... (व्यवधान) ...

श्री शंकर दयाल सिहं: मैडम, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जब ग्राप एक घंटे के लिए हाउस को एडजॉर्न कर रहीं हैं तो उसी बीच में हिन्दी की भी कापियां ग्राः जाएं तो ग्रन्था होगा। मैंडम, यही मुझे ग्रापसे कहना है। ... (ब्यक्षान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I have followed it. Please sit down... (Interruptions)

## एक मिनट बैठिए । बैठिए हा ।

Mr. Upendra, please listen to me. Sibtey Razi Saheb, may I have your attention please?

I can see that Members want to read the amendment proposed by the Home Minister, Mr. Chavian. I believe that now atleast copies in English have been circulated. I hope by the time we meet after one hour, copies in Hindi will be available... (Interruptions)

I have not finished. Sit down. I have not finished. Sit down. I have not finished yet. Please sit down.. (Interruptions)

They will try to get the Hindi copies. It has to be translated. A correct translation has, to come. They cannot bring a wrong translation to the House.

मोलाना श्रोधेदुल्ला खान आजमी : मैडम, हिन्दी वालों को भी समझना है या नहीं ?

به المدون عبد الله فالاعظى ميم

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't interrupt me. This is not the way. When I am speaking please don't get up like this. I can understand the sense. I take care of Hindi more than you do please.

श्री एस० एस० अहल्बालिया : इसका तो कोई हल नहीं है, 14 लेंग्वेज में चाहिए। ...(व्यवधान)...

भौ लाना क्रेंबिंद्रुना खान श्राजमी : 14 लैंखेज की बात मतकीजिए, हिन्दी में चाहिए। ... (व्यवधान)...

†[] Transliteration in Arabic script.

المولاناعبيدالله خان اعظمى : الالينگويج كهات مت كيجه يعملون مين جاميع ع

श्री मोहम्मद सलीम : हम 14 की 14 लैंखेज का सम्मान करते हैं हैं। ... (ठा लाक).

و الفراه ملم و برمای در المراج المرا

श्रान्यत कमता ा.च्हाः मेडम, ये हिन्दी का अपमत्न कर रहे हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kamla Sinha Ji, please be serious about it. I am very serious about this legislation because it is going to affect the lives of the people. If the House is serious about it, I will adjourn it for one hour. The Members can read it. I will try to see that Hindi copies are made available. If the Hindi copies are not available, I cannot help it. It is not in my hands. It is the Home Ministry. which has to supply copies. Our Secretariat will only distribute it. That is all.

The House is adjourned for one hour.

The House then adjourned at sixteen minutes past five of the clock

The House reassembled at sixteen minutes past six of the clock. The DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

भी चत्रानन मिश्रः मैडम, मैने एक प्वाइंट ग्रांफ ग्रांडर उठाया था . . . (ब्यवधान) . . .

उपसभापति : हिन्दी की कापिया ग्रभी बाई हैं।

श्री संकर दयाल िहः बहुत बहुत धन्यवाद। हिन्दी कापी मिल गई हैं मैडम्,

†[] Transliteration in Arabic script.

मैं बहुत संतुष्ट हूं। बहुत धन्यव≀द दे रहा हं।

श्री चतुरानन मिश्च: मैंने एक प्वाइंट ग्रांफ श्रांडेंर रेज किया था। मेरा एक प्वाइंट श्रांफ श्रांडेंर है कि गवर्नमेंट ... (व्यवधान)...

SHRIMATI KAMLA SINHA: Madam, I am on a point of order,

उपसमापति : चतुरः नन जी की बात सुन लें फिर आपकी बात सुनेंगे।

श्री चतुरानन सिश्व: गवनंमेंट की सः इड से जो श्रू अमेंडमेंट दिया गया है श्रभी एक षंटा पहले, उसमें हम लोगों को अमेंडमेंट देने का अधिकार है और इतने कम समय में हम लोग अपना माइंड नहीं ऐप्लाई कर सके इसलिए कल तक के लिए हम लोगों को समय दिया जाए कि कल हम लोग अपने अपने अमेंडमेंट सबमिट करें। यह हमारा श्रधिकार है और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस अधिकार की रक्षा करें।

श्री प्रमोह महाजन (महाराध्द्र) : आपने सवा पांच वजे क्यों नहीं बोल, ?

श्री सत्य प्रकाश भानवीय: ए चतुरानन मिश्र जी की बात का मैं समय क करता हूं ग्रीर इस सदन को कल तक के लिए स्थगित किया जाए।

उपलक्षणित: कमला सिन्हा... (श्यव-धान)... नहीं उन्होंने कहा था, इस शोर में मुझे सुनाई नहीं दिया ! did not hear.

श्री सत्य प्रकास मालकोय: माननी उपसभापति जी, चतुरानन जी की वात का में समर्थन करता हूं और इस अमेंडमेंट को पढ़ने के लिए, अपना दिमाग ऐप्लाई करने के लिए और दूसरे अमेंडमेंट वनाने के लिए इस सदन को कल तक के लिए ऐडजार्न किया जाए। ...(व्यवधान)...

जवसमापति: हिन्दी तो अागई।

**एक माननीय सदस्य** : वह छह पेज में है ।

जपसमापति : श्रव हिन्दी का सवाल क्षे पूरा हो गया है।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Madam, I am on a point of order.

not put to the vote 416 of the House for adoption

हिन्दी प्रति अभी बांटी गई ... (व्यव-धान) ... हिन्दी प्रति अभी बांटी गई जो हिन्दी पढ़ने व ले सदस्य हैं उनको, तो इसको पढ़ना भी होगा, कुछ समझना भी होगा और मूल कानून के सन्य मिला कर देखना भी होगा और तभी कोई बात भी कर सकते हैं, कोई संशोधन भी दे सकते हैं। इसलिए मेरा अ(प से अनुरोध होगा कि इस सदन की कार्यवाही कल तक के लिए आप स्थागित करें।

उपसमापतिः होम मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं। सुनें, सुनें वह वधा कह रहे हैं? ...(व्यवधान) ... सुनने दीजिए।

SHRI S. B. CHAVAN; Madam Deputy Chairman, I have been discussing with the leaders of the Opposition and they have asked me that the discussion or voting on the Criminal Law Amendment Bill, 1995 should be postponed to tomorrow so that they may have sufficient time to study my amendments and make up their

mind. I have no objection to your adjourning the House till tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN; To. morrow, at what time? ... (Interrup-teions) .. .Tomorrow, 12 o'clock..

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, tomorrow immediately after the Question Hour... (Interruptbns)... Immediately after the Question Hour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. So, tomorrow immediately after the Question Hour, we will take up further consideration, amendments and voting on the Criminal Law Amend, ment Bill, 1995. Now, the House is adjourned till tomorrow, ll o'clock.

The House then adjourned, at twenty minutes past six of the clock eleven of the clock on Wednesday, the 24th May, 1995.